



भारतीय उपचर्या परिषद्
INDIAN NURSING COUNCIL

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2021-2022

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत
Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education

8वाँ तल, एन.बी.सी.सी. सेंटर, प्लॉट नं. 2, कम्युनिटी सेंटर, ओखला फेस-1, नई दिल्ली-110020
8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre, Okhla Phase-1, New Delhi-110020



वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022



भारतीय उपचर्या परिषद्

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत



विषय-सूची

	पृष्ठ
1. भूमिका	5
2. उद्देश्य.....	5
3. कार्य	5
4. परिषद् का गठन.....	6
5. संगठनात्मक ढांचा	7
6. समितियां	7
7. राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग	8
8. विदेशी योग्यता की समतुल्यता.....	8
9. अदालती मामले	9
10. आय के स्रोत.....	9
11. वर्ष 2021–2022 के दौरान पूरे किए गए क्रियाकलाप.....	10
12. वर्ष 2022–2023 के लिए नियोजित क्रियाकलाप	36
13. हमारे प्रकाशन.....	37

भूमिका

भारतीय उपचर्या परिषद्, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। संसद द्वारा अधिनियमित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947, समूचे देश में उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक और विनियम बनाए रखने के लिए परिषद् को सांविधिक शक्तियां प्रदान करता है।

उद्देश्य

नर्सों, प्रसाविकाओं और स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए प्रशिक्षण का एकसमान स्तर निर्धारित करना।

कार्य

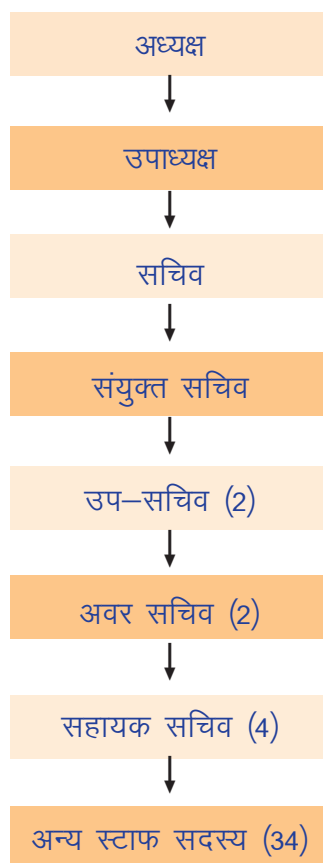
1. नर्सों, प्रसाविकाओं, सहायक नर्स प्रसाविकाओं और स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक स्थापित करने और उन पर निगरानी रखने के लिए भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 के अधीन मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थान में उपलब्ध शिक्षण संकाय, नैदानिक सुविधाएं एवं आधारभूत संरचना सुविधाएं भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 में निहित प्रावधानों के तहत निर्धारित विनियमों के समरूप हैं या नहीं।
2. भारत में और विदेशों में पंजीकरण और रोजगार के प्रयोजन के लिए भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 10(2)(4) के अधीन अर्हताओं को मान्यता प्रदान करना।
3. भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 16 के अधीन विभिन्न उपचर्या कार्यक्रमों में शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक तथा उपचर्या कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और विनियम निर्धारित करना।
4. यदि कोई संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(1)(ख) के अधीन निर्धारित स्तर बनाए रखने में असमर्थ रहता है या नर्सों, प्रसाविकाओं, सहायक नर्स प्रसाविकाओं अथवा स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान परिषद् की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो अधिनियम की धारा 14 के अधीन परिषद् को उसकी मान्यता वापिस लेने का अधिकार है।
5. विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र को मान्यता देना।
6. विदेशी अर्हताएं रखने वाले भारतीय तथा विदेशी नर्सों को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 11(2)(क) के अधीन पंजीकरण के लिए मंजूरी देना।
7. भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 15(क) के अधीन उपचर्या कर्मियों के पंजीकरण के लिए भारतीय नर्स रजिस्टर बनाना।
8. देश में उपचर्या शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्य उपचर्या परिषदों, परीक्षा बोर्डों, राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार को सलाह देना।
9. उपचर्या क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
10. नैतिक संहिता और व्यावसायिक आचरण निर्धारित करना।
11. उपचर्या शिक्षा के स्तर में सुधार लाने हेतु उपचर्या क्षेत्र में नर्सिंग कार्यक्रमों की नीतियों को विनियमित करना।



परिषद् का गठन

धारा संख्या	धाराओं का विवरण	कुल सदस्यों की संख्या
3(1)(क)	राज्य उपचर्या परिषद् (नर्स)	30
3(1)(ख)	संस्थानों के प्रमुख (विश्वविद्यालय)	2
3(1)(ग)	संस्थानों के प्रमुख (स्वास्थ्य परिदर्शिका)	1
3(1)(घ)	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (एमसीआई)	1
3(1)(ङ)	भारतीय आयुर्विज्ञान संघ (आईएमए)	1
3(1)(च)	भारतीय प्रशिक्षित उपचर्या संघ (टीएनएआई)	1
3(1)(छ)	राज्य उपचर्या परिषद् (मिडवाइफ/एएनएम), बारी-बारी से	4
3(1)(ज)	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) – पदेन	1
3(1)(झ)	मुख्य मेट्रन, सेना मुख्यालय – पदेन	1
3(1)(ञ)	नर्सिंग सलाहकार – पदेन	1
3(1)(ट)	मातृत्व निदेशक, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी – पदेन	1
3(1)(ठ)	स्वास्थ्य निदेशक/एमई (राज्य)	30
3(1)(ड)	उपचर्या सेवा अधीक्षक	8
3(1)(ढ)	भारत सरकार द्वारा नामित	4
3(1)(ण)	संसद सदस्य	3
कुल योग		89

संगठनात्मक ढाँचा



परिषद् के पदाधिकारी इस प्रकार हैं :-

डॉ. टी. दिलीप कुमार
डॉ. आशा शर्मा

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

परिषद् के अधिकारी इस प्रकार हैं :-

ले. कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर
श्रीमती के.एस. भारती

सचिव
संयुक्त सचिव

समितियाँ

1. **परिषद् की कार्यकारी समिति** — उपचर्या शिक्षा कार्यक्रमों के मानक बनाए रखने से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार-विमर्श करना।
2. **उपचर्या शिक्षा समिति** — उपचर्या शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करना।
3. **समतुल्यता समिति** — विदेशी अर्हताओं की मान्यता जोकि भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की यथासंशोधित धारा 11(2)(क) अथवा (ख) के अधीन पंजीकरण के प्रयोजन के लिए जरूरी है, से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार-विमर्श करना।



4. **वित्तीय सलाहकार समिति** — क्रय एवं अन्य वित्तीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करना।
5. **सतर्कता समिति** — नर्सों द्वारा पालन किए जाने वाले नैतिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करना और अनैतिक व्यवहार पालन करने का दोषी पाए जाने पर कार्यवाई की सिफारिश करना।
6. **विभागीय पदोन्नति समिति**
7. **रैगिंग-रोधी (एण्टी-रैगिंग) समिति**
8. विभिन्न उपचर्या कार्यक्रमों के संशोधन के लिए परिषद् द्वारा समय-समय पर विभिन्न उपसमितियों का गठन किया जाता है।

राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

विभिन्न राज्यों से हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर सामान्यतया हिन्दी में ही दिया जाता है। टिप्पणियों और अन्य पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विदेशी योग्यता की समतुल्यता

1. विदेशी नर्सिंग योग्यता धारक भारतीय नागरिकों के मामलों की अलग-अलग जांच की जाती है और पाठ्यक्रम की जांच तथा सम्बन्धित विदेशी प्राधिकरणों से पुष्टि करा लेने के बाद नर्सों को समतुल्यता समिति की सिफारिश पर भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 11(2)(क) के अधीन भारत में पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की जाती है।
2. ऐसे भारतीय नागरिक जो भारतवर्ष में पंजीकृत उपचर्या तथा प्रसाविका हैं तथा जिन्होंने विदेश से उपचर्या डिग्री प्राप्त की है, को सम्बन्धित राज्य उपचर्या एवं प्रसाविका पंजीकरण परिषद् में अपनी अतिरिक्त योग्यता पंजीकृत कराने से पहले, भारतीय उपचर्या परिषद् से समतुल्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
3. विदेशी योग्यता धारक विदेशी नागरिक भी भारतीय उपचर्या परिषद् के अध्यक्ष की अनुमति से सीमित अवधि तक धर्मार्थ संस्थानों में कार्य कर सकते हैं। समतुल्यता समिति के सदस्यों द्वारा उनके ट्रांस्क्रिप्ट (प्रतिलिपि) का मूल्यांकन/जांच की जाती है और यदि उसे समतुल्य पाया जाता है तो उन्हें भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 11(2)(ख) के अधीन धर्मार्थ संस्थानों में कार्य करने के लिए अस्थायी अनुमति प्रदान की जाती है।
4. यदि विदेशी नागरिक (नेपाली, बंगलादेशी एवं भूटानी सहित) स्वयं अपने देश में पंजीकृत उपचर्या और पंजीकृत प्रसाविका हैं, तो उन्हें भारत में उच्चतर उपचर्या शिक्षा के लिए प्रवेश दिया जा सकता है अर्थात् उन्हें प्रसूति एवं स्त्री-रोग विभाग को छोड़कर पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम तथा एम.एससी. (नर्सिंग) में प्रवेश दिया जा सकता है। तथापि, उन्हें भारत में व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत नहीं किया जाएगा। यहां तक कि उन्हें अस्थायी पंजीकरण भी प्रदान नहीं किया जाएगा।
 - ए.एन.एम., जी.एन.एम., बी.एससी. (नर्सिंग) में प्रवेश के लिए एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा प्रवेश अर्हता समतुल्यता अर्थात् 12वीं परीक्षा प्राप्त की जाएगी। उपचर्या शैक्षिक संस्थान, राज्य उपचर्या परिषद्, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि अर्हता और पात्रता भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा यथानिर्धारित अर्हता और पात्रता के समतुल्य होनी चाहिए।

5. जहां तक पांच अंग्रेजी भाषी देशों (न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यू.एस.ए., कनाडा, यू.के.) द्वारा भारतीय मूल के प्रवासी नागरिकों (एन.आर.आई.) को प्रदत्त अर्हता का सम्बन्ध है, अभ्यर्थी की अर्हता निम्न शर्तों के अधीन समतुल्य मानी जाएगी :-

- उपर्युक्त अर्हता के साथ अभ्यर्थी को उस देश में व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत नर्स लाइसेंस धारक होना चाहिए।
- यदि एन.आर.आई. अभ्यर्थी पांच अंग्रेजी भाषी देशों से उपचर्या में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करता है तो स्नातकोत्तर अर्हता को तभी उच्चतर अर्हता माना जाएगा, यदि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष से अधिक है और वह एक नियमित पाठ्यक्रम है।

समतुल्यता के लिए वर्ष के दौरान 14 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 5 मामलों में फैसला ले लिया गया।

अदालती मामले

वर्ष 2021-2022 के दौरान भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 76 अदालती मामले पंजीकृत किए गए, जिनमें से 21 मामले निपटा दिए गए।

आय के स्रोत

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (2021-2022)			
आय		व्यय	
विवरण	राशि	विवरण	राशि
प्रकाशनों की बिक्री से आय	15,63,312.14	स्थापना व्यय	4,48,06,449.46
भारत सरकार से अनुदान		अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	25,42,22,121.62
शुल्क	21,94,25,448.10	मूल्यहास (अनुसूची 8 के अनुरूप वर्ष के अन्त में निवल योग)	3,47,55,577.60
अर्जित ब्याज	2,44,53,595.53	अन्य व्यय	
अन्य आय	1,05,75,448.24		
तैयारशुदा माल के भण्डार में वृद्धि / (कमी)	1,18,505.14		
योग - क	25,61,36,309.15	योग - ख	33,37,84,148.68
व्यय की तुलना में आय की अधिकता के रूप में शेष (क - ख)			(7,76,47,839.53)
अधिशेष के रूप में शेष / (घाटा) जिसे कोष / पूंजीगत निधि में आगे ले जाया गया			(7,76,47,839.53)



वर्ष 2021-2022 के दौरान पूरे किए गए क्रियाकलाप

1. भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 व 14 के तहत उपयुक्त पाए गए राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त उपचर्या स्कूलों तथा उपचर्या कॉलेजों की सूची को समय-समय पर अद्यतन कर वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है।
2. भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 के तहत उपचर्या शिक्षा मानकों की समानता रखने के लिए नर्सिंग संस्थानों के निरीक्षण आयोजित किए जाते हैं।

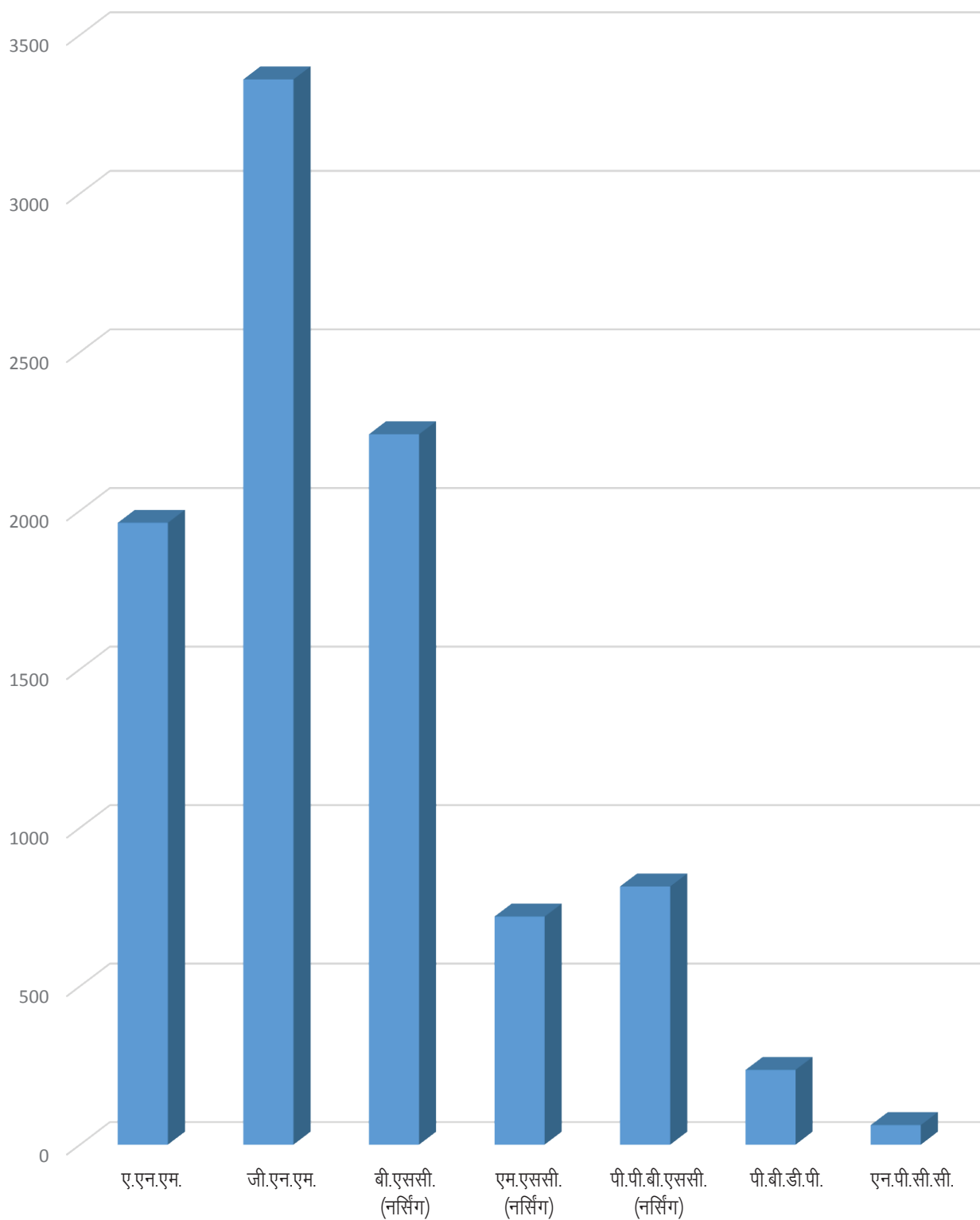
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 के तहत कुल 2111 उपचर्या संस्थानों का निरीक्षण किया गया जिनका विवरण नीचे प्रस्तुत है :-

कार्यक्रम	योग
ए.एन.एम.	292
जी.एन.एम.	717
बी.एससी. (नर्सिंग)	658
एम.एससी. (नर्सिंग)	179
पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)	220
नर्स प्रेक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर (एन.पी.सी.सी.)	5
नर्स प्रेक्टिशनर इन मिडवाइफरी (एन.पी.एम.)	1
पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कार्यक्रम (पी.बी.डी.पी.)	18
पीएच.डी. (नर्सिंग)	4
उन्नयन	17
कुल योग	2111

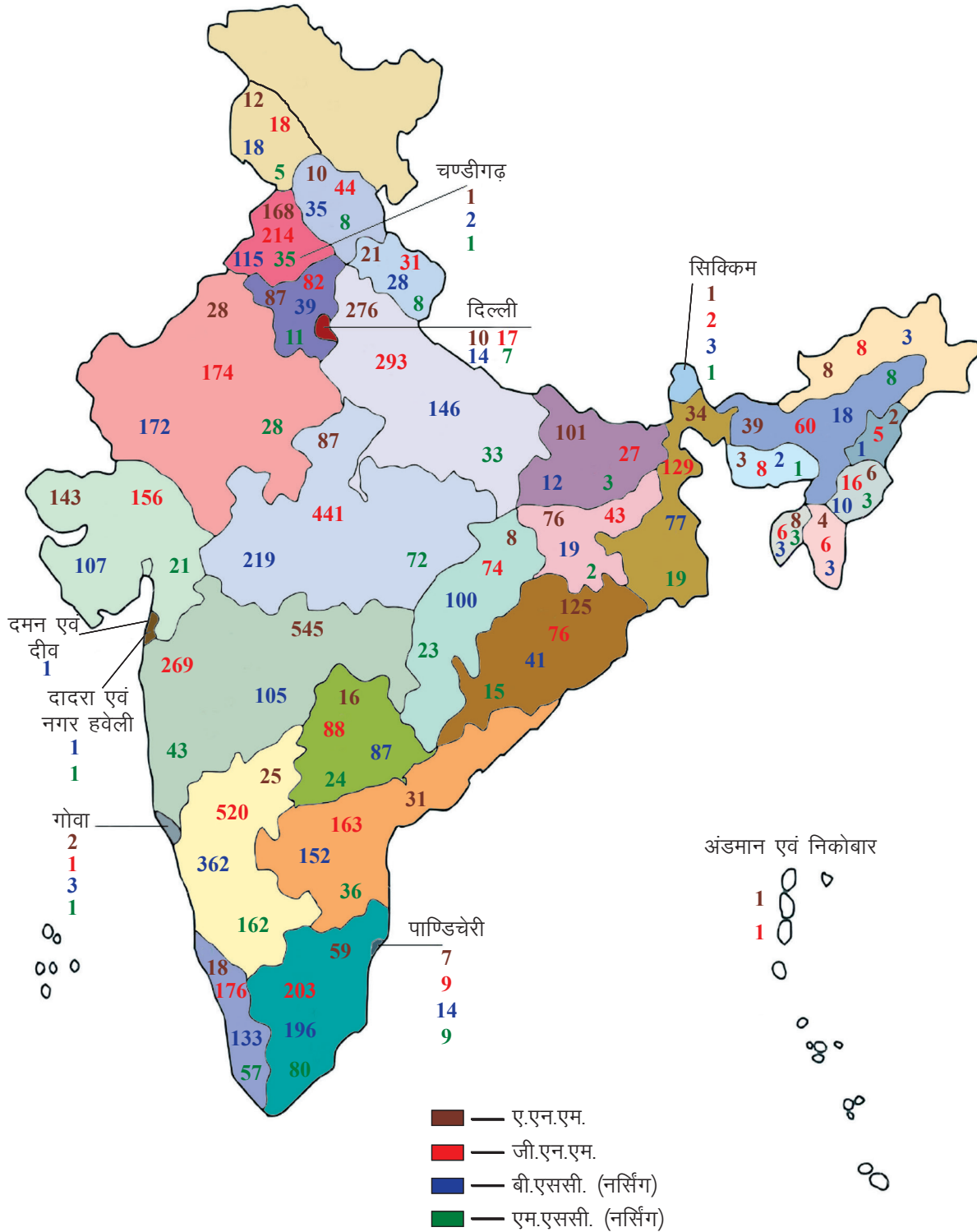
3. 31 मार्च, 2022 को भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 व 14 के तहत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु उपयुक्त पाए गए राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त उपचर्या संस्थानों की कुल संख्या

कार्यक्रम	योग
ए.एन.एम.	1962
जी.एन.एम.	3360
बी.एससी. (नर्सिंग)	2241
पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)	815
एम.एससी. (नर्सिंग)	720
पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कार्यक्रम (पी.बी.डी.पी.)	236
नर्स प्रेक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर (एन.पी.सी.सी.)	62

31 मार्च, 2022 को उपचर्या कार्यक्रमों का विभाजन



31 मार्च, 2022 को उपचर्या कार्यक्रमों का राज्यवार विभाजन



4. 31 मार्च, 2022 को संस्थानों की कुल संख्या

राज्य का नाम	संस्थानों की कुल संख्या		
	सरकारी	निजी	योग
अण्डमान एवं निकोबार	1	0	1
आन्ध्र प्रदेश	19	272	291
अरुणाचल प्रदेश	6	8	14
असम	28	60	88
बिहार	28	89	117
चण्डीगढ़	4	0	4
छत्तीसगढ़	23	112	135
दादरा एवं नगर हवेली	1	0	1
दमन एवं दीव	1	0	1
दिल्ली	14	24	38
गोवा	2	3	5
गुजरात	55	177	232
हरियाणा	11	101	112
हिमाचल प्रदेश	9	50	59
जम्मू एवं कश्मीर	4	30	34
झारखण्ड	17	85	102
कर्नाटक	43	625	668
केरल	34	232	266
लेह एवं लद्दाख	0	0	0
मध्य प्रदेश	37	477	514
महाराष्ट्र	60	654	714
मणिपुर	4	21	25
मेघालय	3	8	11
मिजोरम	7	4	11
नागालैण्ड	4	2	6
उड़ीसा	35	154	189
पाण्डिचेरी	5	12	17
पंजाब	19	237	256
राजस्थान	37	253	290
सिक्किम	1	3	4
तमिलनाडु	40	307	347
तेलंगाना	13	146	159
त्रिपुरा	5	10	15
उत्तर प्रदेश	25	340	365
उत्तराखण्ड	15	32	47
पश्चिम बंगाल	76	113	189
कुल योग	686	4641	5327



भारतीय उपचर्या परिषद्

5. 31 मार्च, 2022 को उपचर्या शैक्षिक संस्थानों तथा कार्यक्रमों का विभाजन

राज्य	ए.एन.एम.						जी.एन.एम.					
	संस्थान		सीट		योग		संस्थान		सीट		योग	
	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	संस्थान	सीट	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	संस्थान	सीट
अण्डमान एवं निकोबार	1	0	20	0	1	20	1	0	20	0	1	20
आन्ध्र प्रदेश	4	27	140	770	31	910	10	153	500	6625	163	7125
अरुणाचल प्रदेश	4	4	80	110	8	190	4	4	110	180	8	290
असम	11	28	310	765	39	1075	22	38	1104	1290	60	2394
बिहार	20	81	525	3040	101	3565	7	20	371	925	27	1296
चण्डीगढ़	1	0	20	0	1	20	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	5	3	210	100	8	310	14	60	480	2075	74	2555
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	2	8	80	270	10	350	2	15	45	630	17	675
गोवा	1	1	40	60	2	100	1	0	50	0	1	50
गुजरात	30	113	920	3300	143	4220	25	131	1030	5595	156	6625
हरियाणा	7	80	190	2580	87	2770	4	78	110	3220	82	3330
हिमाचल प्रदेश	2	8	70	240	10	310	7	37	220	1390	44	1610
जम्मू एवं कश्मीर	0	12	0	405	12	405	0	18	0	735	18	735
झारखण्ड	9	67	290	2120	76	2410	6	37	210	1475	43	1685
कर्नाटक	12	13	360	370	25	730	17	503	746	23985	520	24731
केरल	8	10	205	300	18	505	19	157	555	4865	176	5420
लेह एवं लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	18	69	625	2270	87	2895	19	422	995	16410	441	17405
महाराष्ट्र	32	513	750	11265	545	12015	38	231	1239	6675	269	7914
मणिपुर	3	3	100	80	6	180	2	14	60	490	16	550
मेघालय	1	2	20	45	3	65	2	6	80	175	8	255
मिजोरम	3	1	90	30	4	120	3	3	60	100	6	160
नागालैण्ड	1	1	30	30	2	60	3	2	100	60	5	160
उड़ीसा	20	105	760	3155	125	3915	10	66	630	2470	76	3100
पाण्डिचेरी	2	5	50	130	7	180	3	6	100	230	9	330
पंजाब	7	161	240	5530	168	5770	10	204	480	10093	214	10573
राजस्थान	19	9	520	260	28	780	12	162	685	7700	174	8385
सिक्किम	1	0	20	0	1	20	1	1	20	20	2	40
तमिलनाडु	13	46	700	1450	59	2150	25	178	2130	5005	203	7135
तेलंगाना	3	13	60	395	16	455	6	82	300	3662	88	3962
त्रिपुरा	3	5	125	210	8	335	2	4	100	150	6	250
उत्तर प्रदेश	11	265	250	9710	276	9960	6	287	220	12900	293	13120
उत्तराखण्ड	7	14	170	425	21	595	4	27	160	1020	31	1180
पश्चिम बंगाल	21	13	1185	530	34	1715	43	86	2777	4935	129	7712
कुल योग	282	1680	9155	49945	1962	59100	328	3032	15687	125085	3360	140772

6. 31 मार्च, 2022 को उपचर्या शैक्षिक संस्थानों तथा कार्यक्रमों का विभाजन

राज्य	बी.एससी. (नर्सिंग)						एम.एससी. (नर्सिंग)					
	संस्थान		सीट		योग		संस्थान		सीट		योग	
	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	संस्थान	सीट	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	संस्थान	सीट
अण्डमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आन्ध्र प्रदेश	12	140	695	7335	152	8030	3	33	105	621	36	726
अरुणाचल प्रदेश	0	3	0	150	3	150	0	0	0	0	0	0
असम	4	14	230	620	18	850	3	5	57	74	8	131
बिहार	2	10	110	540	12	650	1	2	10	55	3	65
चण्डीगढ़	2	0	120	0	2	120	1	0	20	0	1	20
छत्तीसगढ़	9	91	470	4100	100	4570	4	19	105	368	23	473
दादरा एवं नगर हवेली	1	0	60	0	1	60	1	0	20	0	1	20
दमन एवं दीव	1	0	50	0	1	50	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	9	5	425	240	14	665	3	4	45	85	7	130
गोवा	1	2	100	80	3	180	1	0	25	0	1	25
गुजरात	9	98	450	4525	107	4975	3	18	45	359	21	404
हरियाणा	3	36	145	1700	39	1845	1	10	30	212	11	242
हिमाचल प्रदेश	1	34	60	1310	35	1370	1	7	25	156	8	181
जम्मू एवं कश्मीर	4	14	200	680	18	880	0	5	0	88	5	88
झारखण्ड	1	18	50	860	19	910	0	2	0	45	2	45
कर्नाटक	15	347	965	18895	362	19860	6	156	70	3290	162	3360
केरल	12	121	745	7155	133	7900	8	49	155	907	57	1062
लेह एवं लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	10	209	740	9210	219	9950	4	68	111	1197	72	1308
महाराष्ट्र	6	99	300	4695	105	4995	3	40	55	705	43	760
मणिपुर	2	8	90	280	10	370	2	1	18	8	3	26
मेघालय	1	1	50	40	2	90	1	0	10	0	1	10
मिजोरम	2	1	65	30	3	95	0	0	0	0	0	0
नागालैण्ड	0	1	0	40	1	40	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	4	37	265	1680	41	1945	3	12	62	320	15	382
पाण्डिचेरी	3	11	235	750	14	985	3	6	67	126	9	193
पंजाब	6	109	320	5680	115	6000	2	33	50	671	35	721
राजस्थान	11	161	790	7375	172	8165	8	20	190	325	28	515
सिक्किम	0	3	0	170	3	170	0	1	0	25	1	25
तमिलनाडु	5	191	250	12080	196	12330	2	78	65	1679	80	1744
तेलंगाना	6	81	380	4600	87	4980	1	23	30	463	24	493
त्रिपुरा	0	3	0	150	3	150	0	3	0	45	3	45
उत्तर प्रदेश	9	137	570	5890	146	6460	1	32	50	699	33	749
उत्तराखण्ड	7	21	360	995	28	1355	2	6	43	117	8	160
पश्चिम बंगाल	18	59	1135	3795	77	4930	9	10	205	180	19	385
कुल योग	176	2065	10425	105650	2241	116075	77	643	1668	12820	720	14488



भारतीय उपचर्या परिषद्

7. 31 मार्च, 2022 को उपचर्या शैक्षिक संस्थानों तथा कार्यक्रमों का विभाजन

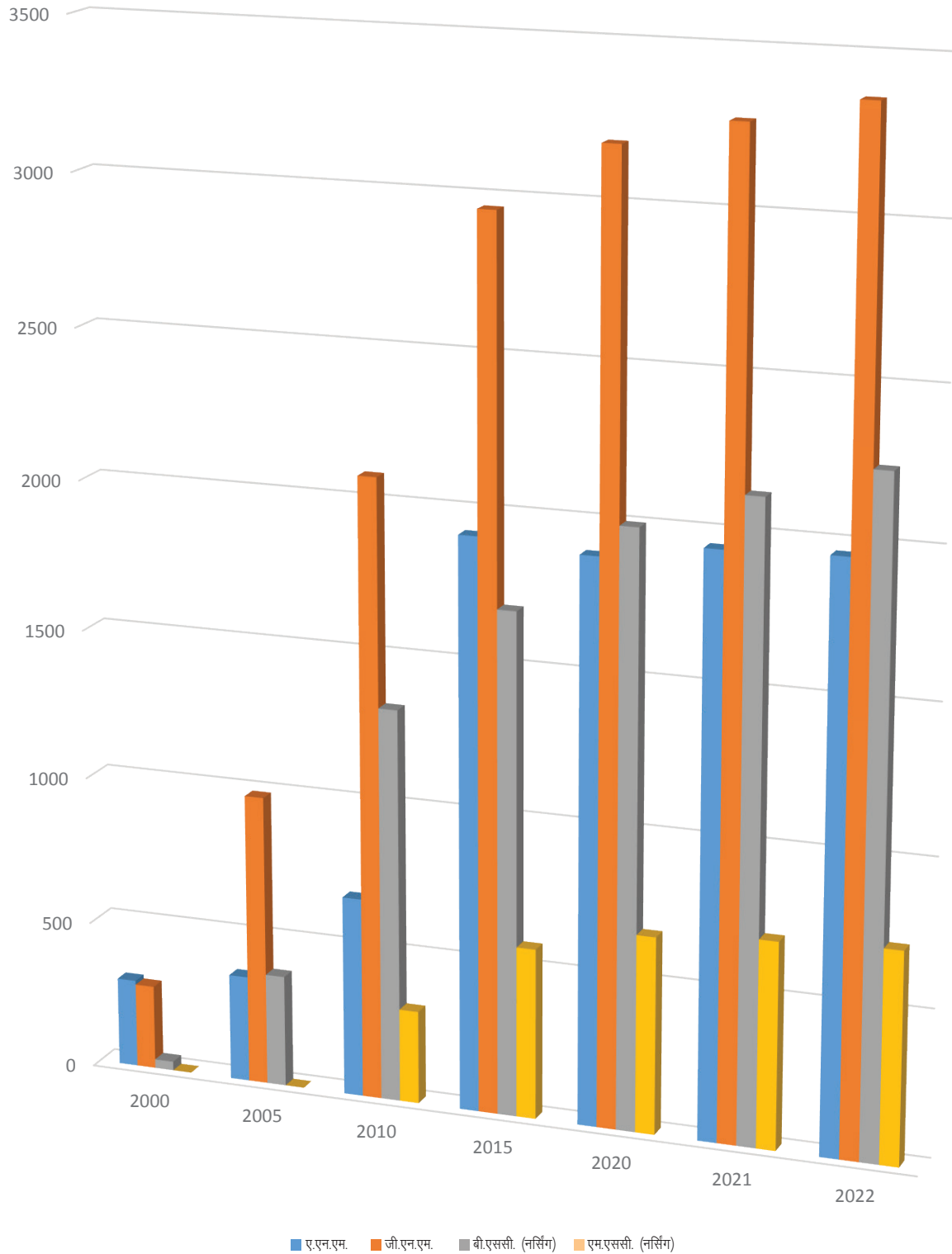
राज्य	पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)						पोस्ट बेसिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पी.बी.डी.पी.)					
	संस्थान		सीट		योग		संस्थान		सीट		योग	
	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	संस्थान	सीट	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	संस्थान	सीट
अण्डमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आन्ध्र प्रदेश	1	32	30	920	33	950	4	9	60	90	13	150
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	0	4	0	115	4	115	1	2	30	20	3	50
बिहार	1	2	40	90	3	130	0	3	0	40	3	40
चण्डीगढ़	1	0	40	0	1	40	2	0	30	0	2	30
छत्तीसगढ़	1	17	20	505	18	525	2	1	40	10	3	50
दादरा एवं नगर हवेली	1	0	20	0	1	20	0	0	0	0	0	0
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	1	3	20	80	4	100	9	3	160	40	12	200
गोवा	1	0	10	0	1	10	3	0	60	0	3	60
गुजरात	1	26	30	700	27	730	6	4	115	25	10	140
हरियाणा	1	27	30	805	28	835	0	5	0	55	5	55
हिमाचल प्रदेश	1	13	30	325	14	355	0	0	0	0	0	0
जम्मू एवं कश्मीर	0	4	0	170	4	170	0	0	0	0	0	0
झारखण्ड	1	4	30	130	5	160	2	0	21	0	2	21
कर्नाटक	4	173	160	6365	177	6525	13	28	170	355	41	525
केरल	6	34	190	1015	40	1205	12	14	137	185	26	322
लेह एवं लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	7	73	320	2185	80	2505	0	7	0	75	7	75
महाराष्ट्र	2	49	70	1405	51	1475	14	16	209	225	30	434
मणिपुर	0	4	0	90	4	90	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	1	0	30	1	30	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैण्ड	0	1	0	20	1	20	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	1	12	40	470	13	510	2	1	30	10	3	40
पाण्डिचेरी	2	5	55	165	7	220	2	5	20	75	7	95
पंजाब	4	90	125	3040	94	3165	5	2	43	30	7	73
राजस्थान	2	46	45	1255	48	1300	0	0	0	0	0	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	2	60	90	2075	62	2165	1	32	10	415	33	425
तेलंगाना	1	17	10	520	18	530	1	8	15	95	9	110
त्रिपुरा	0	1	0	20	1	20	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	2	47	80	1370	49	1450	5	0	80	0	5	80
उत्तराखण्ड	1	7	30	210	8	240	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	7	11	390	455	18	845	6	6	95	85	12	180
कुल योग	52	763	1905	24530	815	26435	90	146	1325	1830	236	3155

8. 31 मार्च, 2022 को उपचर्या शैक्षिक संस्थानों तथा कार्यक्रमों का विभाजन

राज्य	नर्स प्रेक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर (एन.पी.सी.सी.)					
	संस्थान		सीट		योग	
	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	संस्थान	सीट
अण्डमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0
आन्ध्र प्रदेश	0	1	0	10	1	10
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
असम	0	1	0	10	1	10
बिहार	0	0	0	0	0	0
चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	1	0	10	1	10
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	0	3	0	40	3	40
गोवा	0	0	0	0	0	0
गुजरात	1	2	10	20	3	30
हरियाणा	1	3	15	40	4	55
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0	0	0
झारखण्ड	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	1	9	10	145	10	155
केरल	0	7	0	120	7	120
लेह एवं लद्दाख	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	2	0	20	2	20
महाराष्ट्र	0	5	0	80	5	80
मणिपुर	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	0	0	0	0	0	0
पाण्डिचेरी	0	1	0	10	1	10
पंजाब	1	2	5	20	3	25
राजस्थान	1	1	25	20	2	45
सिक्किम	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	0	9	0	115	9	115
तेलंगाना	0	4	0	80	4	80
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	3	0	40	3	40
उत्तराखण्ड	0	2	0	25	2	25
पश्चिम बंगाल	0	1	0	10	1	10
कुल योग	5	57	65	815	62	880



उपचर्या संस्थानों की संख्या में कार्यक्रम-वार वृद्धि



9. ऑग्निलरी नर्स एंड मिडवाइफ (ए.एन.एम.) स्कूलों की संख्या में वृद्धि

क्र.सं.	राज्य	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022
1	अण्डमान एवं निकोबार	1	1	1	1	1	1	1
2	आन्ध्र प्रदेश	50	49	34	69	31	31	31
3	अरुणाचल प्रदेश	1	1	2	4	7	7	8
4	असम	5	6	7	19	35	38	39
5	बिहार	19	21	27	75	111	112	101
6	चण्डीगढ़	1	1	0	1	1	1	1
7	छत्तीसगढ़	3	4	8	93	5	6	8
8	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
9	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	1	1	4	7	10	10	10
11	गोवा	1	1	1	2	2	2	2
12	गुजरात	3	4	8	99	133	135	143
13	हरियाणा	8	13	40	82	87	88	87
14	हिमाचल प्रदेश	8	8	6	8	9	10	10
15	जम्मू एवं कश्मीर	1	1	3	15	14	14	12
16	झारखण्ड	13	15	14	49	65	71	76
17	कर्नाटक	7	5	26	43	26	26	25
18	केरल	26	25	14	19	18	18	18
19	लेह एवं लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	19	20	76	111	90	90	87
21	महाराष्ट्र	25	27	180	572	544	546	545
22	मणिपुर	1	3	6	11	7	7	6
23	मेघालय	1	2	2	2	3	3	3
24	मिजोरम	2	2	3	3	4	4	4
25	नागालैण्ड	1	1	1	1	2	2	2
26	उड़ीसा	22	22	50	131	129	129	125
27	पाण्डिचेरी	0	1	1	4	7	7	7
28	पंजाब	12	35	49	176	168	171	168
29	राजस्थान	15	16	11	29	26	28	28
30	सिक्किम	1	1	0	1	1	1	1
31	तमिलनाडु	13	15	13	37	46	58	59
32	तेलंगाना	—	—	—	—	17	17	16
33	त्रिपुरा	0	1	2	3	5	8	8
34	उत्तर प्रदेश	29	29	26	180	243	258	276
35	उत्तराखण्ड	5	5	6	20	20	21	21
36	पश्चिम बंगाल	4	24	55	54	25	29	34
कुल योग		298	360	676	1921	1892	1949	1962
वृद्धि प्रतिशत में			20.80%	87.77%	184.17%	(-) 0.63%	3.01%	0.67%

(-) प्रवेश में कमी होने के कारण कुछ नर्सिंग संस्थान बन्द हो गए हैं।



भारतीय उपचर्या परिषद्

10. जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जी.एन.एम.) स्कूलों की संख्या में वृद्धि

क्र.सं.	राज्य	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022
1	अण्डमान एवं निकोबार	0	1	1	1	1	1	1
2	आन्ध्र प्रदेश	53	130	245	253	156	158	163
3	अरुणाचल प्रदेश	1	2	2	5	7	7	8
4	असम	4	11	17	30	55	58	60
5	बिहार	9	13	9	16	26	26	27
6	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	0	2	12	58	82	83	74
8	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	1	1	0	0	0
9	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	8	16	21	18	18	18	17
11	गोवा	0	1	2	1	1	1	1
12	गुजरात	15	23	51	102	152	155	156
13	हरियाणा	3	19	42	78	83	84	82
14	हिमाचल प्रदेश	3	6	26	35	43	44	44
15	जम्मू एवं कश्मीर	1	2	5	16	17	17	18
16	झारखण्ड	1	1	16	24	29	39	43
17	कर्नाटक	47	283	526	519	475	504	520
18	केरल	42	92	220	209	176	176	176
19	लेह एवं लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	8	24	69	313	395	402	441
21	महाराष्ट्र	28	60	109	254	265	269	269
22	मणिपुर	0	4	7	13	16	16	16
23	मेघालय	1	5	7	7	8	8	8
24	मिजोरम	1	4	5	5	6	6	6
25	नागालैण्ड	1	1	1	4	5	5	5
26	उड़ीसा	4	10	40	76	78	78	76
27	पाण्डिचेरी	0	1	2	5	9	9	9
28	पंजाब	12	79	149	214	211	214	214
29	राजस्थान	3	55	157	173	168	174	174
30	सिक्किम	0	0	0	2	2	2	2
31	तमिलनाडु	21	72	169	210	207	207	203
32	तेलंगाना	—	—	—	—	88	88	88
33	त्रिपुरा	0	3	3	5	6	6	6
34	उत्तर प्रदेश	8	35	114	228	287	295	293
35	उत्तराखण्ड	0	0	6	19	32	32	31
36	पश्चिम बंगाल	11	28	49	64	81	93	129
कुल योग		285	983	2083	2958	3185	3275	3360
वृद्धि प्रतिशत में			244.91%	111.90%	42.00%	(-) 0.84%	2.82%	2.59%

(-) प्रवेश में कमी होने के कारण कुछ नर्सिंग संस्थान बन्द हो गए हैं।

11. बी.एससी. (नर्सिंग) कॉलेजों की संख्या में वृद्धि

क्र.सं.	राज्य	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022
1	अण्डमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0	0
2	आन्ध्र प्रदेश	1	76	215	225	145	150	152
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	1	1	2	3
4	असम	1	1	6	10	17	18	18
5	बिहार	0	0	0	4	10	10	12
6	चण्डीगढ़	1	1	1	2	2	2	2
7	छत्तीसगढ़	0	5	35	71	98	101	100
8	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	1	1	1	1
9	दमन एवं दीव	0	0	0	0	1	1	1
10	दिल्ली	3	5	11	11	14	14	14
11	गोवा	0	0	3	3	3	3	3
12	गुजरात	1	3	27	52	103	108	107
13	हरियाणा	0	2	19	32	39	41	39
14	हिमाचल प्रदेश	0	0	7	16	31	35	35
15	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	4	5	16	18	18
16	झारखण्ड	0	0	4	7	10	14	19
17	कर्नाटक	6	160	315	334	314	338	362
18	केरल	1	12	104	126	132	132	133
19	लेह एवं लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	1	18	86	133	188	198	219
21	महाराष्ट्र	3	12	75	97	104	105	105
22	मणिपुर	0	0	1	6	8	8	10
23	मेघालय	0	0	1	2	2	2	2
24	मिजोरम	0	1	2	2	3	3	3
25	नागालैण्ड	0	0	0	1	1	1	1
26	उड़ीसा	0	4	14	18	36	40	41
27	पाण्डिचेरी	0	5	10	14	15	15	14
28	पंजाब	3	16	82	101	108	111	115
29	राजस्थान	1	4	116	152	149	171	172
30	सिक्किम	0	1	1	2	3	3	3
31	तमिलनाडु	7	46	138	172	188	192	196
32	तेलंगाना	—	—	—	—	86	87	87
33	त्रिपुरा	0	0	1	4	4	4	3
34	उत्तर प्रदेश	0	2	28	58	111	132	146
35	उत्तराखण्ड	0	1	5	10	23	26	28
36	पश्चिम बंगाल	1	2	15	18	30	41	77
कुल योग		30	377	1326	1690	1996	2127	2241
वृद्धि प्रतिशत में			1156.66%	251.72%	27.45%	1.42%	6.56%	5.36%

12. एम.एससी. (नर्सिंग) कॉलेजों की संख्या में वृद्धि

क्र.सं.	राज्य	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022
1	अण्डमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0	0
2	आन्ध्र प्रदेश	0	2	29	55	36	36	36
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	0	0	3	5	7	7	8
5	बिहार	0	0	0	0	1	2	3
6	चण्डीगढ़	0	1	1	1	1	1	1
7	छत्तीसगढ़	0	0	10	16	21	21	23
8	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	1	1	1
9	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	1	1	3	4	7	7	7
11	गोवा	0	0	0	1	1	1	1
12	गुजरात	0	0	2	9	20	21	21
13	हरियाणा	0	0	1	4	11	11	11
14	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1	8	8	8
15	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	2	4	5	5
16	झारखण्ड	0	0	0	0	1	2	2
17	कर्नाटक	6	20	120	178	156	160	162
18	केरल	0	3	30	66	57	58	57
19	लेह एवं लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	2	20	27	61	68	72
21	महाराष्ट्र	1	2	16	35	41	44	43
22	मणिपुर	0	0	0	0	2	2	3
23	मेघालय	0	0	0	0	1	1	1
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
25	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0
26	उड़ीसा	0	0	4	7	12	14	15
27	पाण्डिचेरी	0	0	4	7	7	9	9
28	पंजाब	0	2	13	38	36	37	35
29	राजस्थान	0	0	5	18	25	29	28
30	सिक्किम	0	0	0	0	1	1	1
31	तमिलनाडु	2	24	44	79	82	82	80
32	तेलंगाना	—	—	—	—	23	24	24
33	त्रिपुरा	0	0	0	2	2	2	3
34	उत्तर प्रदेश	0	0	4	9	20	23	33
35	उत्तराखण्ड	0	0	2	4	8	8	8
36	पश्चिम बंगाल	0	2	4	9	14	16	19
कुल योग		10	59	315	577	667	701	720
वृद्धि प्रतिशत में			490%	433.89%	83.17%	2.14%	5.09%	2.71%

13. भारत में पंजीकृत नर्सों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	31.12.2021 को भारत में पंजीकृत नर्सों, सहायक नर्सों और महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं की कुल संख्या		
		ए.एन.एम.	आर.एन. एवं आर.एम.	एल.एच.वी.
1	आन्ध्र प्रदेश	139812	262076	2480
2	अरुणाचल प्रदेश	7972	8352	346
3	असम	30174	28599	452
4	बिहार #	19499	26421	511
5	छत्तीसगढ़ #	14930	25368	1352
6	दिल्ली	5171	80484	0
7	गोवा	330	1081	0
8	गुजरात	54364	141477	0
9	हरियाणा	31989	41518	694
10	हिमाचल प्रदेश*	12007	26611	500
11	जम्मू एवं कश्मीर	5264	3999	0
12	झारखण्ड	10900	6773	142
13	कर्नाटक*	54039	231643	6840
14	केरल	31302	315620	8507
15	मध्य प्रदेश*	39563	118793	1731
16	महाराष्ट्र #	81218	152845	685
17	मणिपुर	4361	12136	0
18	मेघालय	2224	9603	242
19	मिजोरम	2465	4824	0
20	नागालैण्ड	1186	1365	0
21	उड़ीसा #	70679	85561	238
22	पंजाब*	23029	76680	2584
23	राजस्थान #	110443	209554	2732
24	सिक्किम	236	1860	0
25	तमिलनाडु	61465	332030	11284
26	तेलंगाना*	10219	53314	0
27	त्रिपुरा	2708	7510	148
28	उत्तर प्रदेश*	75671	111860	2763
29	उत्तराखण्ड #	9779	16947	37
30	पश्चिम बंगाल	69709	76318	12854
कुल योग		982708	2471222	57122

स्रोत : संबंधित राज्य उपचर्या पंजीकरण परिषद्;

ए.एन.एम. : सहायक नर्स प्रसाविका;

एल.एच.वी. : महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका;

टिप्पणी : *पिछले वर्ष 31.12.2019 तक के आंकड़े, # 31.12.2020 तक के आंकड़े

आर.एन. एवं आर.एम. : पंजीकृत नर्स और पंजीकृत प्रसाविका;

एन.ए. : अनुपलब्ध;



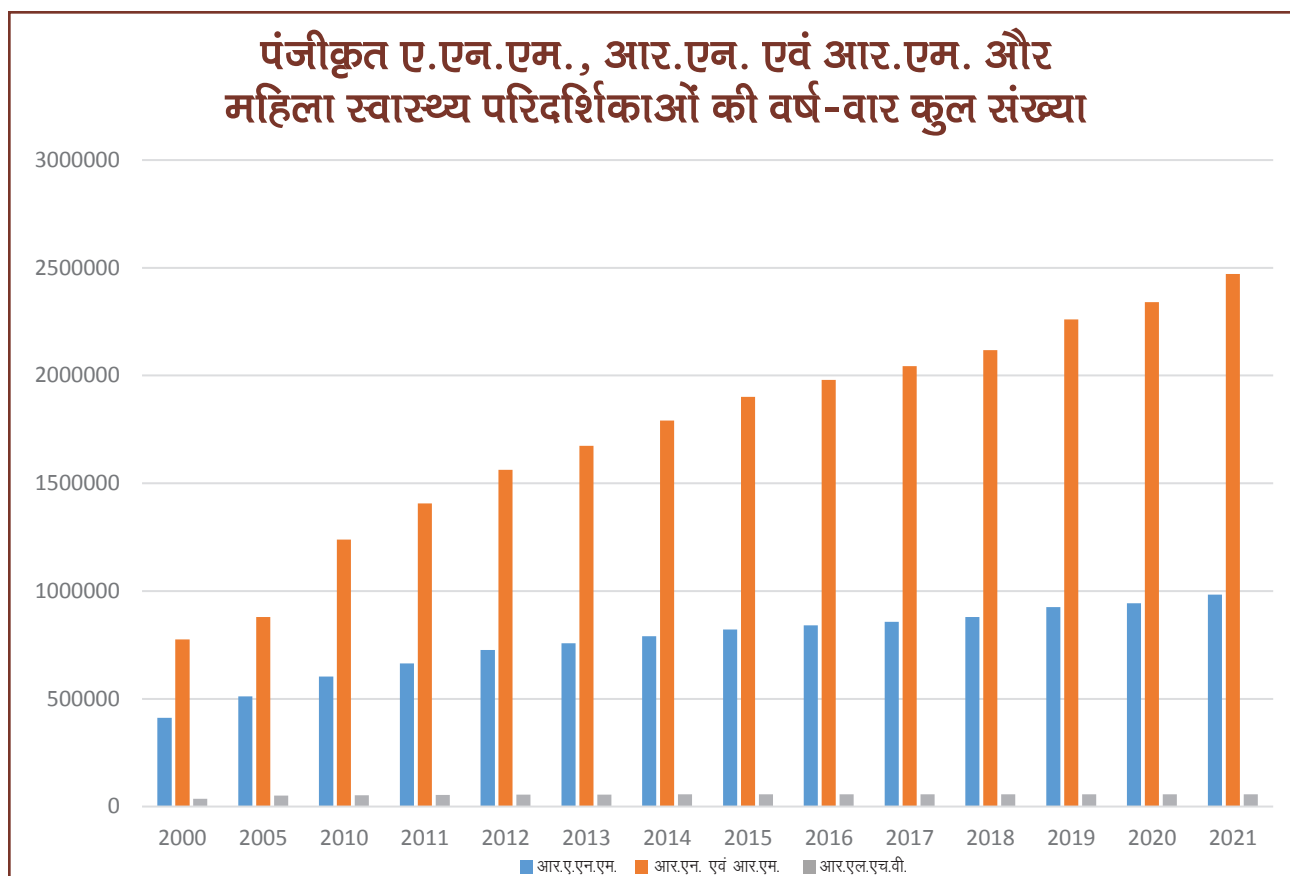
भारतीय उपचर्या परिषद्

पंजीकृत* ए.एन.एम., आर.एन. एवं आर.एम. और महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं की वर्षवार कुल संख्या

वर्ष	आर.ए.एन.एम.	आर.एन. एवं आर.एम.	आर.एल.एच.वी.	वार्षिक वृद्धि प्रतिशत में		
				आर.ए.एन.एम.	आर.एन. एवं आर.एम.	आर.एल.एच.वी.
2000	411220	775812	35890			
2005	510628	879464	50455	24.17%	13.36%	40.58%
2010	603131	1238874	52963	18.11%	40.86%	4.97%
2011	664453	1406006	54208	10.16%	13.49%	2.35%
2012	726557	1562186	55498	9.34%	11.10%	2.37%
2013	756937	1673338	55691	4.18%	7.11%	0.34%
2014	789740	1791285	56096	4.33%	7.04%	0.72%
2015	821147	1900837	56264	3.97%	6.11%	0.29%
2016	841279	1980536	56367	2.45%	4.19%	0.18%
2017	856984	2043289	56433	1.86%	3.16%	0.12%
2018	879508	2117649	56644	2.63%	3.64%	0.37%
2019	925016	2259785	56819	5.17%	6.71%	0.30%
2020	943951	2340501	56854	2.05%	3.57%	0.06%
2021	982708	2471222	57122	4.11%	5.59%	0.47%

*स्रोत : विवरण संबंधित राज्य उपचर्या पंजीकरण परिषदों से लिए गए हैं;

(-) प्रवेश में कमी होने के कारण कुछ नर्सिंग संस्थान बन्द हो गए हैं।



14. संशोधित बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम

तेजी से विकसित हो रहे स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की मांगों के साथ अद्यतन रखने के लिए भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया।

बेहतर कौशल तथा विषय की समझ रखने वाले बी.एससी. (नर्सिंग) डिग्री धारक, रोगियों को अधिक प्रभावी और कुशलतापूर्वक सेवा प्रदान करने के लिए तैयार होंगे।

पाठ्यक्रम संबंधी प्रमुख परिवर्तन:

- यूजीसी दिशानिर्देश – व्यावसायिक शिक्षा के अनुरूप हाइब्रिड फॉर्म।
- क्रेडिट सिस्टम।
- सत्र सिस्टम – 8 सत्र।
- ऐच्छिक विषयों के लिए केवल चयन आधारित है।
- मूलभूत, सार और ऐच्छिक पाठ्यक्रम।
- योग्यता आधारित पाठ्यक्रम (10 मुख्य दक्षताओं पर आधारित)

बी.एससी. (नर्सिंग) स्नातक पाठ्यक्रम में 10 (दस) मूलभूत दक्षताओं को सम्मिलित किया गया है।

बी.एससी. स्नातक नर्स निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. रोगी केंद्रित सेवा

वैयक्तिक रोगी की वरीयताओं, मूल्यों और जरूरतों को पहचानते हुए संवेदनशील, समन्वित, आयु और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त सुरक्षित और प्रभावी समग्र सेवा प्रदान करना।

2. व्यावसायिकता

परिषद् मानकों के अनुसार सदाचारी, परोपकारी, विधिक, नैतिक, विनियामक और मानवतावादी सिद्धांतों के अनुरूप प्रामाणिक नर्सिंग सेवा प्रदान करने में जवाबदेही का प्रदर्शन करना।

3. शिक्षण तथा नेतृत्व

उनके वातावरण में रहते हुए वैयक्तिक एवं सामूहिक व्यवहार को प्रभावित करना और शिक्षण तथा नेतृत्व के माध्यम से साझा लक्ष्यों की स्थापना की सुविधा प्रदान करना।

4. प्रणाली आधारित अभ्यास

स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के संदर्भ में जागरूकता एवं जवाबदेही प्रदर्शित करना और सेवा की इष्टतम गुणवत्ता प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधनों का प्रबंधन करने की क्षमता विकसित करना।

5. स्वास्थ्य सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जानकारी को संश्लेषित करना और रोगियों में आशावादी परिणाम प्राप्त करने के लिए छिद्रान्वेशी निर्णय लेने में सहयोग करना।

6. संवाद

रोगी, परिवार और सहकर्मियों के साथ पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देना और रोगी की संतुष्टि और स्वास्थ्य परिणामों के संवर्द्धन के लिए साझा निर्णय लेने के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करना।



7. दलीय कार्य एवं सहयोग

नर्सिंग और अंतःविषयक दलों के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करना और उन्मुक्त संवाद, आपसी सम्मान, साझा निर्णय लेना, दलीय अध्ययन एवं विकास को बढ़ावा देना।

8. सुरक्षा

प्रणाली की प्रभावशीलता और वैयक्तिक प्रदर्शन के माध्यम से रोगियों और प्रदाताओं को होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करना।

9. गुणवत्ता सुधार

स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की गुणवत्ता और सुरक्षा में लगातार सुधार के लिए सेवा प्रक्रियाओं के परिणामों पर नजर रखना और डिजाइन में सुधार तथा परीक्षण परिवर्तनों का उपयोग करने के लिए डेटा का उपयोग करना।

10. साक्ष्य आधारित अभ्यास

व्यावहारिक विशेषज्ञता के साथ रोगी की वरीयता, अनुभव और मूल्यों पर विचार करने के लिए नैदानिक विशेषज्ञता और विचार के साथ युग्मित सर्वोत्तम वर्तमान साक्ष्यों की पहचान, मूल्यांकन और उपयोग करना।

निम्नलिखित शिक्षण-अधिगम दृष्टिकोण और विधियों को अपनाया गया है:

- दक्षता और परिणाम आधारित अध्ययन।
- परिवर्तनकारी और संबंध आधारित शैक्षिक दृष्टिकोण।
- मिश्रित अध्ययन दृष्टिकोण – अनुभवात्मक अध्ययन, चिंतनशील अध्ययन, परिदृश्य-आधारित अध्ययन और कृत्रिम अध्ययन।
- सिमुलेशन/कौशल प्रशेगशाला और नैदानिक अध्ययन – पारंगति अध्ययन और आत्म-निर्देशित अध्ययन।
- पाठ्यक्रम और ऐच्छिक के अंदर अनिवार्य मॉड्यूल के लिए प्रमापीय अध्ययन।

पाठ्यचर्या मात्रात्मक संशोधन			
	पुराना पाठ्यक्रम	नया पाठ्यक्रम	कारण
पाठ्यक्रमों की संख्या	23	30	नए पाठ्यक्रम जोड़े गए – 2 पाठ्यक्रम दो में विभाजित किए गए – 5
एक वर्ष के लिए नियोजित सप्ताहों की संख्या	37	40 सप्ताह (सत्र I – 20 सप्ताह, सत्र II – 20 सप्ताह)	परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए।
अवकाश, छुट्टियां, परीक्षा और तैयारी हेतु छुट्टियां	15	12 सप्ताह (सत्र I – 6 सप्ताह, सत्र II – 6 सप्ताह)	परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए।

अतिरिक्त पाठ्यक्रम/ मॉड्यूल	दो पाठ्यक्रम • फोरेंसिक नर्सिंग का परिचय • व्यावसायिकता, व्यावसायिक मूल्य और नैतिकता जिसमें जैवनैतिकता शामिल है अनिवार्य मॉड्यूल-8 पाठ्यक्रमों के अंदर ऐच्छिक-3 8-सत्रों में पूरा करना होंगे पाठ्यचर्या में सिमुलेशन अध्ययन के एकीकरण को देखते हुए कौशल प्रयोगशाला घंटे बढ़ाए गए
--------------------------------	--

15. नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी कार्यक्रम

यह मानते हुए कि उच्च गुणवत्ता वाली दाई देखभाल सभी मातृ एवं नवजात मृत्यु में से लगभग दो तिहाई को रोक सकती है और हर वर्ष लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है, भारत सरकार ने देश में मिडवाइफरी सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया है। इस निर्णय के प्रत्युत्तर-स्वरूप, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2018 में 'भारत में दाई सेवाओं पर दिशानिर्देश' तैयार किए गए थे। यह परिकल्पना की गई है कि ऐसी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं जहां पर मातृ एवं नवजात रोगियों की संख्या बहुत अधिक हो जैसे मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और सीएचसी पर दाइयों द्वारा संचालित देखभाल इकाइयां (एमएलसीयू) (प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य प्रमाणित सुविधाएं) स्थापित की जाएंगी। जिससे महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षित दाइयों द्वारा सम्मानजनक एवं निरंतर उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान की जा सके।

'मिडवाइफरी सर्विसेज इनिशिएटिव' का उद्देश्य 'नर्स प्रैक्टिशनर्स इन मिडवाइफरी' (एनपीएम) नामक दाइयों का एक नया संवर्ग तैयार करना है जो आईसीएम दक्षताओं के अनुसार कुशल, सुविज्ञ और मृदु महिला केंद्रित प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु एवं किशोर स्वास्थ्य सेवा (आरएमएनसीएचए) प्रदान करने में सक्षम हों और मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य के लिए एसडीजी प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में इस संवर्ग के एकीकरण के लिए एक सक्षम वातावरण विकसित करना है (एमओएचएफडब्ल्यू, 2018)।

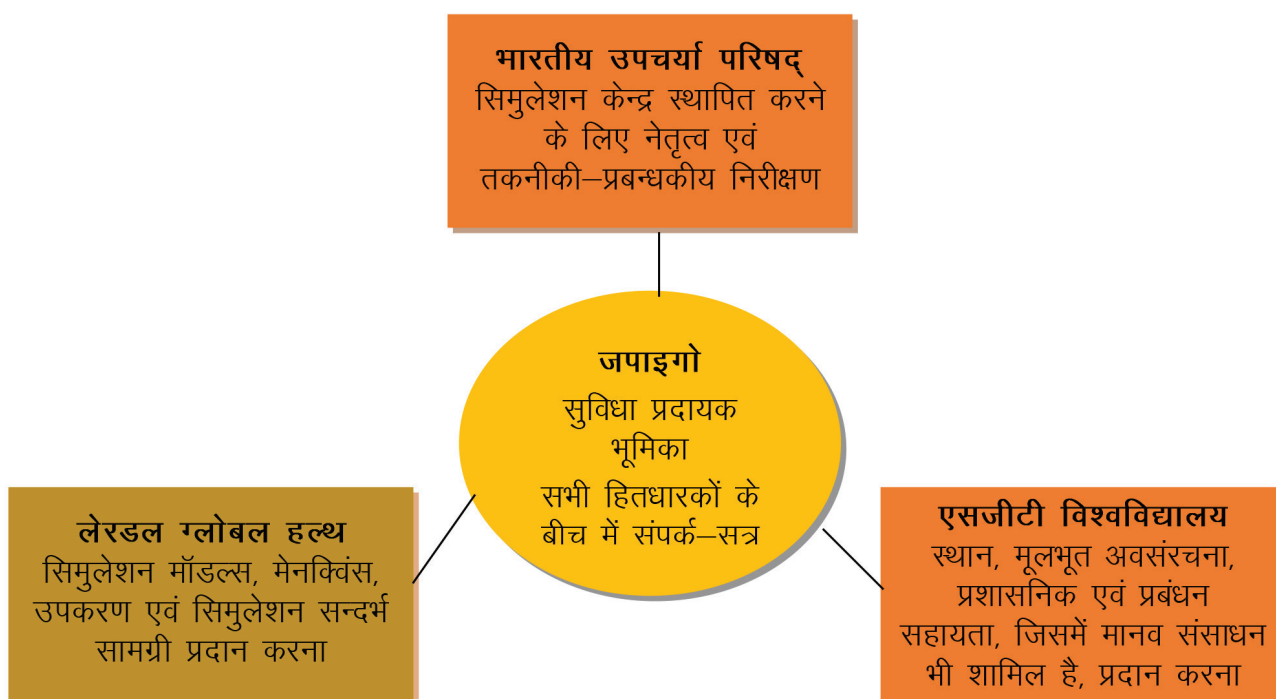
उपरोक्त के आधार पर, भारतीय उपचर्या परिषद् ने 18 माह का एक एनपीएम पाठ्यक्रम विकसित किया है। एनपीएम पाठ्यक्रम के पूरा करने पर, दाई (एनपीएम) महिलाओं के पूरे जीवन काल में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसमें उनके प्रसव के वर्षों के दौरान महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वह गर्भधारण पूर्व, गर्भावस्था, प्रसव और नवजात शिशु की देखभाल सहित प्रसवोत्तर अवधि के दौरान सम्मानजनक मातृत्व देखभाल प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वह अपने अभ्यास के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होंगे। एनपीएम अस्पताल में चिकित्सकों और मौजूदा बाह्य स्वास्थ्य प्रणाली के अंदर स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, एएनएम, नर्स, चिकित्सकों और विशेषज्ञों के साथ स्वतंत्र रूप से और सहयोगात्मक रूप से अभ्यास करेंगे। उन्हें ऐसी सुविधाओं में तैनात किया जा सकता है जहां कोई प्रसूति-चिकित्सक उपलब्ध नहीं है और माताओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एनपीएम द्वारा उपयोग के लिए अनुमत दवाओं के साथ-साथ उपचार प्रोटोकॉल और पूर्व-निर्धारित मिडवाइफरी देखभाल प्रोटोकॉल के आधार पर दाई की देखभाल प्रदान करनी है। भारत सरकार द्वारा स्थापित की जा रही नर्सों द्वारा संचालित देखभाल इकाइयों का प्रबंधन सक्षम एवं विशेषज्ञ एनपीएम द्वारा किया जाएगा जिससे देश में मातृ और शिशु मृत्यु दर कम हो जाएगी।

16. राष्ट्रीय संदर्भ सिमुलेशन केंद्र (एनआरएससी)

परिचय

एनआरएससी नर्सिंग क्षेत्र में सिमुलेशन आधारित शिक्षा को एकीकृत और कार्यान्वित करने के लिए आईएनसी, जपाइगो एवं लेरडल के सहयोगात्मक प्रयासों से एसजीटीयू, गुरुग्राम में स्थापित एक अत्याधुनिक सुविधा है। इस केंद्र का उद्देश्य नर्सिंग छात्रों तथा नर्सिंग कर्मियों को वैयक्तिक कौशल, सिमुलेशन परिदृश्य वाले मामलों में निर्णय लेने एवं प्रबंधित करने में आने वाली जटिलताओं के बढ़ते स्तर के बारे में प्रशिक्षित करना है।

नेशनल काउंसिल फॉर स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग (एनसीएसबीएन) 2015 द्वारा एक शोध किया गया है, जिसमें यह निष्कर्ष निकला है कि उच्च गुणवत्ता वाले सिमुलेशन प्री-लाइसेंसर नर्सिंग पाठ्यक्रम में पारंपरिक नैदानिक घंटों को 50 प्रतिशत तक प्रतिस्थापित कर सकते हैं।



अध्ययन का दायरा

- यह क्षमता प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने का एक व्यवस्थित तरीका है
- ज्ञान तथा नैदानिक अभ्यास के बीच सम्पर्क
- इसके पांच घटक हैं –
 - ज्ञान प्राप्ति
 - कौशल प्रवीणता
 - निर्णय लेना
 - टीमों में अनुकरण
 - नैदानिक अनुभव



सिमुलेशन प्रशिक्षण

- सिमुलेशन वास्तविक या संभावित वास्तविक जीवन की स्थिति में एक कृत्य या प्रणाली की किसी अन्य द्वारा की गई नकल या निरूपण है
- यह अध्ययन कक्ष निर्देशों और वास्तविक नैदानिक निर्देशों के बीच का एक कदम है
- प्रज्ञता और समालोचनात्मक सोच को बढ़ाता है और प्रोत्साहित करता है

कौशल प्रशिक्षण बनाम सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण

कौशल प्रशिक्षण

- कौशल प्रशिक्षण में विभिन्न कार्य प्रशिक्षकों का उपयोग मुख्यतः व्यक्तिगत प्रज्ञता के लिए किया जाता है
- विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है

सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण

- यह एक दलीय प्रज्ञता है
- व्यापक प्रज्ञता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है (जैसे, किसी बीमारी की स्थिति की रोकथाम)
- संचार, नेतृत्व, समालोचनात्मक सोच और निर्णय लेने जैसे व्यावहारिक कौशल सीखे जा सकते हैं

प्रशिक्षण

6-दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशेषज्ञों के सहयोग से विकसित किया गया है ताकि प्रशिक्षकों को प्रज्ञा तंत्र के चक्र का उपयोग करने में मदद मिल सके और नैदानिक दक्षता उपकरणों में चेकलिस्ट, ओएससीई, केस स्टडी तथा सिमुलेशन आधारित शिक्षा पद्धति शामिल हैं ताकि इसे नर्सिंग शिक्षा में अधिकतम प्रभावी बनाया जा सके। यह प्रशिक्षण लेरडल ग्लोबल हेल्थ और एसजीटी विश्वविद्यालय की छिट्टान्वेशी योजना द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य सिमुलेशन आधारित शिक्षा में मास्टर प्रशिक्षकों को तैयार करना है जो अपने कॉलेज या संस्थानों में अपने सहयोगियों के बीच इसका प्रचार-प्रसार करेंगे।

प्रशिक्षण से पहले परीक्षण तथा प्रशिक्षण के उपरांत परीक्षण का विश्लेषण

प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम के आयोजन से पहले सिमुलेशन आधारित शिक्षा में प्रतिभागियों की दक्षता के स्तर का आंकलन करने के लिए परीक्षण किया गया था और प्रशिक्षण के छठे दिन किये गये परीक्षण के साथ तुलना की गई थी।

सारांश

देश भर के 212 नर्सिंग संकाय को सिमुलेशन आधारित नर्सिंग शिक्षा पर प्रशिक्षित किया गया था। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में संकाय की संख्या 25 से 30 तक होती है।

मिडवाइफरी के काम में कौशल मानकीकरण और सिमुलेशन प्रशिक्षण

देश भर के मिडवाइफरी संकाय के लिए कौशल मानकीकरण और सिमुलेशन प्रशिक्षण, नेशनल रीफरेंस सिमुलेशन सेंटर, एसजीटी विश्वविद्यालय, गुरुग्राम में आयोजित किया जा रहा है। यह सुविधा कौशल, सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण और चयनित मिडवाइफरी कौशल पर 5 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण है। संकाय जिन्होंने वर्चुअल क्षमता निर्माण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, वे प्रशिक्षण में अपना नामांकन करा सकते हैं।

5 बैचों में कुल 103 संकाय को प्रशिक्षित किया गया है। 53 संकाय सरकारी क्षेत्र से थे और 50 निजी क्षेत्र से थे।

17. उपचर्या में पी.एचडी. हेतु राष्ट्रीय संघ (नेशनल कंसोर्टियम फॉर पी.एचडी. इन नर्सिंग)

भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा उपचर्या के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के सहयोग से उपचर्या में पी.एचडी. हेतु एक राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय संघ के केन्द्र :-

- (i) भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली
- (ii) सेंट जॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बंगलौर, नोडल केन्द्र
- (iii) सी.एम.सी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वेल्लोर
- (iv) सी.एम.सी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लुधियाना
- (v) गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हैदराबाद
- (vi) गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तिरुवनन्तपुरम
- (vii) गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एस.एस.के.एम., कोलकाता
- (viii) आई.एन.ई., मुम्बई

डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित अभ्यर्थियों की संख्या = 153

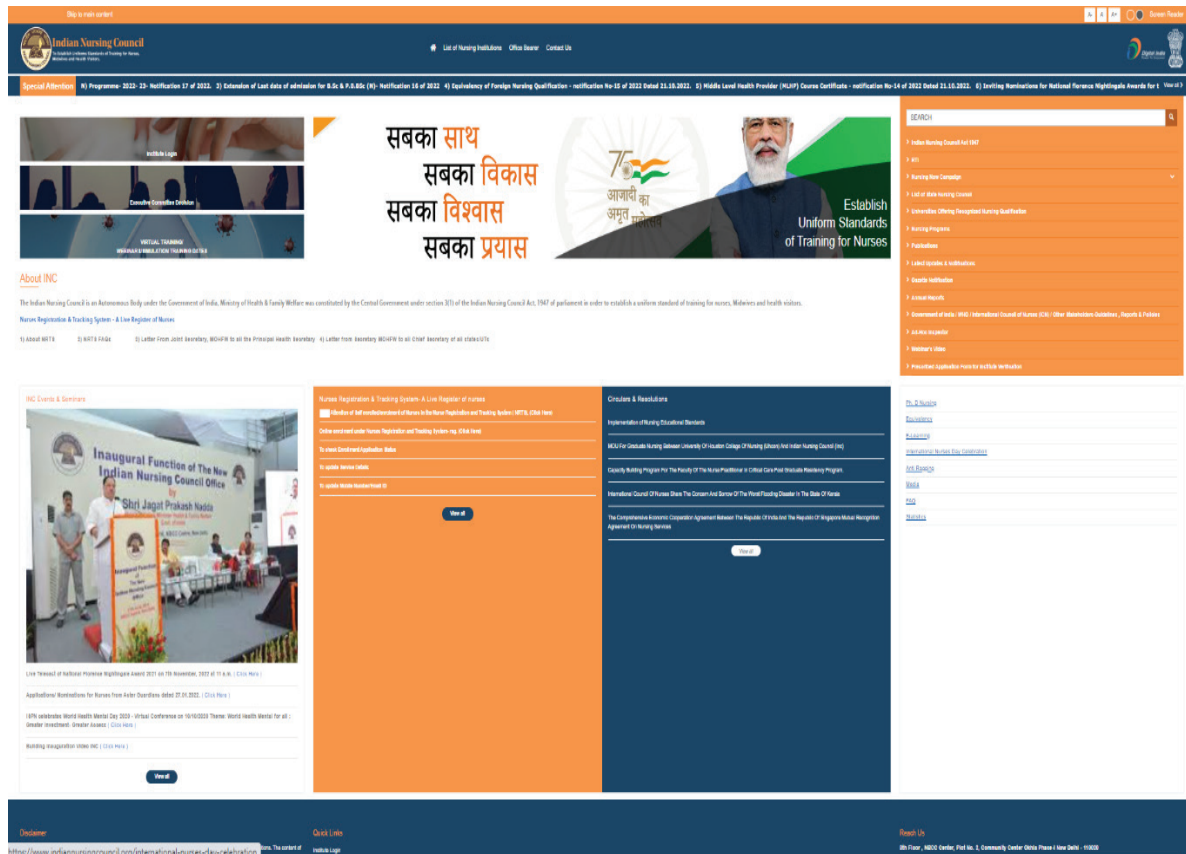
31 मार्च 2022 तक पंजीकृत कुल अभ्यर्थियों की संख्या = 365



भारतीय उपचर्या परिषद्

18. आईएनसी द्वारा नर्सिंग शिक्षा की डिजिटल निगरानी

- प्राप्त आवेदन चार प्रकार के होते हैं
 - नए संस्थान
 - मौजूदा संस्थानों का नवीनीकरण
 - मौजूदा संस्थानों में सीटों की संख्या में वृद्धि
 - पुनः निरीक्षण
- नर्सिंग शिक्षा के नियमन और मानकों के तहत, आईएनसी सभी नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए देश के सभी नर्सिंग कॉलेजों/संस्थानों (सरकारी और निजी दोनों) की उपयुक्तता की जांच करती है।
- नर्सिंग संस्थानों को उपयुक्तता पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण के माध्यम से स्वचालित है।
- इसके तहत, संस्थान ऑनलाइन आवेदन करते हैं और ऑनलाइन भुगतान सहित सभी विवरण ऑनलाइन प्रस्तुत करते हैं। संस्थानों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद आईएनसी निर्धारित दिशानिर्देशानुसार अपने कार्यालय कार्यप्रवाह के अनुसार सभी आवेदनों की जांच करती है और संस्थानों द्वारा उपरोक्त URL से पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- आईएन की वेबसाइट www.indiannursingcouncil.org हमेशा सक्रिय है।
- आईएनसी वेबसाइट को वर्ष 2021 में फिर से डिजाइन किया गया था।



- एनआरटीएस लाइव डेटा <https://nrts.indiannursingcouncil.gov.in> वेबसाइट पर उपलब्ध है।

viii) नर्सिंग शिक्षा से संबंधित विभिन्न राजपत्रित अधिसूचनाएं और परिपत्र समय-समय पर वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं।

ix) ऑफिस में अपने स्वयं के स्तर पर ई-ऑफिस विकसित किया गया है, जोकि सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है और सभी पत्र केवल ई-मेल के माध्यम से ही भेजे जाते हैं।

19. भारत में आईसीएन ब्रांड लीडरशिप फॉर चेंज (एलएफसी) कार्यक्रम की शुरुआत

लीडरशिप फॉर चेंज (एलएफसी) – अंतर्राष्ट्रीय उपचर्या परिषद् (आईसीएन) उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन 60 देशों में कर रहा है। अब, भारतीय उपचर्या परिषद् ने उक्त कार्यक्रम को भारत में शुरू किया है। 42 नर्सिंग एंड मिडवाइफरी लीडर्स को दो कोहोर्ट में प्रशिक्षण दिया गया है और वे फ्यूचर नर्सिंग लीडर्स को प्रशिक्षित करने के लिए मास्टर ट्रेनर होंगे।

डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस (डीएनपी) – भारतीय उपचर्या परिषद् ने ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और अधिक साक्ष्य-आधारित नर्सिंग अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए, डीएनपी कार्यक्रम पायलट आधार पर शुरू किया जा रहा है, और जिन उम्मीदवारों ने क्रिटिकल केयर में नर्स प्रैक्टिशनर पूरा कर लिया है, वे इस डीएनपी कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे।

20. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम – संकाय, नैदानिक नर्स और मिडवाइफरी छात्रों के लिए ई-लर्निंग पाठ्यक्रम आईएनसी वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

i) कोविड 19 मॉड्यूल – इस पाठ्यक्रम में मोटे तौर पर कोविड-19 के संदर्भ में संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण शामिल हैं और इसमें कोविड-19 के बारे में तथ्य शामिल हैं तथा यह भ्रांतियों/मिथकों को दूर करता है। इसमें कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयारी, तत्परता और प्रतिक्रिया – प्रारंभिक पहचान, प्रतिक्रिया और रेफरल भी शामिल हैं।

- अवधि – 10 घंटे;
- सीएनई घंटे – पंजीकृत नर्सों और मिडवाइव्स को मॉड्यूल परीक्षा के 80 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांकों के साथ सफल समापन पर 10 घंटे प्रदान किए जाते हैं।
- स्नातक छात्रों को मॉड्यूल परीक्षा के 80 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ सफल समापन पर सहभागिता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

ii) मिडवाइफरी मॉड्यूल 1 – शैक्षिक प्रौद्योगिकी, मिडवाइफरी शिक्षा और अभ्यास अवधारणाएं जिसमें भारत में मातृ स्वास्थ्य परिदृश्य शामिल है।

- अवधि – 5 घंटे;
- सीएनई घंटे – पंजीकृत नर्सों और मिडवाइव्स को मॉड्यूल परीक्षा के 80 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांकों के साथ सफल समापन पर 5 घंटे प्रदान किए जाते हैं।
- स्नातक छात्रों को मॉड्यूल परीक्षा के 80 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ सफल समापन पर सहभागिता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

iii) मिडवाइफरी मॉड्यूल 2 – साक्ष्य आधारित मिडवाइफरी केयर – प्रसवपूर्व, अंतर्गर्भाशयी, प्रसवोत्तर और नवजात देखभाल।

- अवधि – 5 घंटे;
- सीएनई घंटे – पंजीकृत नर्सों और मिडवाइव्स को मॉड्यूल परीक्षा के 80 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांकों के साथ सफल समापन पर 5 घंटे प्रदान किए जाते हैं।



- स्नातक छात्रों को मॉड्यूल परीक्षा के 80 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ सफल समापन पर सहभागिता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।
- iv) मिडवाइफरी मॉड्यूल 3 – प्रजनन स्वास्थ्य – परिवार कल्याण और सुरक्षित गर्भपात सेवाएं जिनमें किशोर तथा युवा लोगों के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य व लिंग आधारित हिंसा शामिल हैं।
 - अवधि – 5 घंटे;
 - सीएनई घंटे – पंजीकृत नर्सों और मिडवाइव्स को मॉड्यूल परीक्षा के 80 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांकों के साथ सफल समापन पर 5 घंटे प्रदान किए जाते हैं।
 - स्नातक छात्रों को मॉड्यूल परीक्षा के 80 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ सफल समापन पर सहभागिता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।
- v) आस्ट्रिका (Aastrika) मंच पर मैटरनिटी फाउंडेशन द्वारा मातृत्व और नवजात स्वास्थ्य देखभाल के लिए ई-लर्निंग।
 - अवधि – 7 घंटे;
 - सीएनई घंटे – मॉड्यूल परीक्षा को 70 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी लोगों को 7.5 घंटे प्रदान किए जाते हैं।
- vi) आस्ट्रिका (Aastrika) मंच पर यूएनएफपीए द्वारा यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को एकीकृत करना।
 - पाठ्यक्रम – इसमें एकीकृत एसआरएच सेवाओं, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपात, प्रजनन अधिकार और मातृ स्वास्थ्य की भूमिका पर 5 मॉड्यूल शामिल हैं। वे सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एसआरएच मुद्दों पर एक संक्षिप्त अभिविन्यास प्रदान करते हैं।
 - अवधि – 7.5 घंटे
 - सीएनई घंटे – मॉड्यूल को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी लोगों को 7.5 घंटे प्रदान किए जाते हैं।

21. नर्सों का सांप्रतिक (लाइव) रजिस्टर

- i. नर्सों का सांप्रतिक (लाइव) रजिस्टर तैयार करने के लिए, भारतीय उपचर्या परिषद् ने नर्स पंजीकरण एवं ट्रेकिंग प्रणाली (एनआरटीएस) शुरू की है। एनआरटीएस एक पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर प्रणाली है, जिसका शुभारम्भ वर्ष 2016–17 में किया गया था। वर्ष के दौरान, आधार प्रमाणीकरण के आधार पर एनआरटीएस के तहत राज्य उपचर्या परिषदों में पहले से पंजीकृत नर्सों के नामांकन में निरन्तर बढ़ोत्तरी हुई है और साथ ही कॉलेजों/संस्थानों/स्कूलों से उत्तीर्ण होने वाले नए नर्सों का नामांकन एनआरटीएस के तहत राज्य उपचर्या परिषदों में प्राथमिक पंजीकरण के रूप में किया जाएगा। इस संबंध में सभी राज्य उपचर्या परिषदों को एनआरटीएस प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है।
- ii. नर्सों के विवरण के सत्यापन और संबंधित राज्य उपचर्या परिषद् के रजिस्ट्रार द्वारा उसके अनुमोदन के बाद प्रत्येक नर्स को नर्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन नम्बर (एनयूआईडी) कार्ड तथा नर्स पासबुक जारी किए जाएंगे जिसमें नर्स का संपूर्ण विवरण उपलब्ध होगा। इसके लिए निविदा आमंत्रित की गई थीं और इस कार्य को पूरा करने के लिए सेवा प्रदाता का चयन कर लिया गया है। 95,998 एनयूआईडी कार्ड तथा नर्स पासबुक की पहली खेप संबंधित नर्सों को आगे वितरण के लिए संबंधित राज्य उपचर्या परिषदों को भेज दी गई है। वर्ष 2021–2022 में लगभग 1,57,403 एनयूआईडी कार्ड तथा नर्स पासबुक की दूसरी खेप मुद्रित करने की योजना है।

- iii. बिहार, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्य उपचर्या परिषदों में प्राथमिक पंजीकरण तथा पारस्परिक पंजीकरण शुरू हो गए हैं और 31 मार्च, 2022 तक 10,34,200 पंजीकृत नर्सों का नामांकन हो चुका है।
- iv. एनआरटीएस के तहत प्राथमिक पंजीकरण के बारे में राज्य उपचर्या परिषदों के अधिकारियों को उन्मुख करने के लिए भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। वेबिनार में राज्य उपचर्या परिषदों के रजिस्ट्रार, और नर्सिंग संस्थानों के प्रधानाचार्य, डीन तथा संकाय सदस्यों ने भाग लिया।
- v. नवीनीकरण 150 सीएनई घंटे के साथ जुड़ा हुआ है।
- vi. एनआरटीएस सांप्रतिक विवरण (लाइव डेटा) वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- vii. नर्स आईएनसी वेबसाइट पर एनआरटीएस के लिए लॉग-इन और पंजीकरण कर सकते हैं।
- viii. नर्स अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर खुद को प्रमाणित कर सकते हैं।
- ix. नर्स अपने मोबाइल नंबर/सेवा संस्था में बदलाव आदि को एनआरटीएस में अद्यतन कर सकते हैं।
- x. नर्सों का राज्यवार सांप्रतिक विवरण (लाइव डेटा) वेबसाइट पर आसानी से देखा जा सकता है।
- xi. प्रत्येक राज्य पर क्लिक करने पर नर्सों का जिलावार विवरण भी देखा जा सकता है।
- xii. आयुवार, सरकारी, निजी रिपोर्ट जैसी कई विशेषताएं शामिल हैं।

22. भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा यूएनएफपीए के सहयोग से मिडवाइफरी शिक्षा के लिए 15 वर्चुअल क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा यूएनएफपीए के सहयोग से मिडवाइफरी शिक्षा के लिए 15 वर्चुअल क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2085 नर्सों का प्रशिक्षण (सरकारी – 524 तथा प्राइवेट – 1561)		
क्र.सं.	दिन	विषय
1	पहला	1.1 शैक्षिक पद्धति 1.2 नवीनतम शैक्षिक तकनीक
2	दूसरा	2.1 मिडवाइफरी शिक्षा और अभ्यास 2.2 साक्ष्य आधारित प्रसवपूर्व देखभाल
3	तीसरा	3.1 प्रसवपूर्व जटिलताओं का प्रबंधन 3.2 साक्ष्य आधारित अंतर्गर्भाशयी देखभाल तथा जटिलताओं का प्रबंधन
4	चौथा	4.1 साक्ष्य आधारित प्रसवोत्तर देखभाल तथा प्रसवोत्तर जटिलताओं का प्रबंधन 4.2 साक्ष्य आधारित नवजात शिशु देखभाल तथा नवजात शिशु जटिलताओं का प्रबंधन
5	पांचवां	5.1 परिवार नियोजन तथा गर्भनिरोध 5.2 सुरक्षित गर्भपात सेवाएं
6	छठवां	6.1 किशोर एवं युवा वर्ग का यौन तथा प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य 6.2 लिंग आधारित हिंसा – नर्सों की भूमिका



भारतीय उपचर्या परिषद्

23. वर्ष 2021-2022 के दौरान आयोजित वेबिनार और प्रशिक्षण

अब तक कुल 08 वेबिनार आयोजित किए जा चुके हैं।

क्र.सं.	वेबिनार	दिनांक
1.	मिडवाइफरी दिवस समारोह पर वेबिनार प्रतिभागियों की संख्या – 4245	05.05.2021
2.	अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 2021 पर वेबिनार प्रतिभागियों की संख्या – 2987	12.05.2021
3.	नर्स पंजीकरण ट्रेकिंग सिस्टम पर वेबिनार प्रतिभागियों की संख्या – 10,721	02.06.2021
4.	संशोधित बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम 2021-22 पर अभिविन्यास कार्यशाला (प्रथम सत्र) प्रतिभागियों की संख्या – 7185	01.09.2021
5.	संशोधित बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम 2021-22 पर अभिविन्यास (द्वितीय सत्र) कार्यशाला प्रतिभागियों की संख्या – 9375	02.09.2021
6.	संशोधित बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम 2021-22 पर अभिविन्यास कार्यशाला (तृतीय सत्र) प्रतिभागियों की संख्या – 6985	03.09.2021
7.	संशोधित बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम 2021-22 पर अभिविन्यास कार्यशाला (चतुर्थ सत्र) प्रतिभागियों की संख्या – 4775	04.09.2021
8.	NM4C सोशल मीडिया प्रशिक्षण प्रतिभागियों की संख्या – 930	09.10.2021

24. राजकीय, निजी/डीम्ड विश्वविद्यालयों की मान्यता

निम्नलिखित विश्वविद्यालय, परीक्षा संचालन हेतु एवं कॉलेजिएट नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए एक अधिकृत परीक्षक के रूप में भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की अनुसूची भाग-II में शामिल करने हेतु भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत मान्यता-प्राप्त हैं:-

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालय का नाम	पता
1	बिहार	माता गुजरी यूनिवर्सिटी	पूरबपाली रोड, किशनगंज, बिहार-855107
2	छत्तीसगढ़	श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी	शादनी दरबार के पास, गांव धनेली, डाकघर माना, न्यू धमतरी रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़-492015
3	गुजरात	भगवान महावीर यूनिवर्सिटी	149, वीआईपी रोड, भरथना रोड, वेसु, सूरत, गुजरात-395007

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालय का नाम	पता
4	हरियाणा	पी डी एम यूनिवर्सिटी	सेक्टर-3ए, सराय, औरंगाबाद, बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा-124507
5	झारखंड	बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी	राजकीय पॉलिटेक्निक रोड, धनबाद, झारखंड-828130
6	झारखंड	रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी	थाना नवाडीह कला, डाकघर विश्रामपुर, जिला पलामू, झारखंड-822132
7	झारखंड	साई नाथ यूनिवर्सिटी	जिरावर चंदवे कुच्छू रोड, ओरमांझी, रांची, झारखंड-835219
8	कर्नाटक	श्रीनिवास यूनिवर्सिटी	श्रीनिवास परिसर, श्रीनिवास नगर, मुक्का, सुरथकल, मंगलुरु, कर्नाटक-574146
9	कर्नाटक	आदिचुनचनागिरी यूनिवर्सिटी	बी जी नगर, एनएच-75, नागमंगला तालुक, मंड्या जिला, कर्नाटक-571448
10	मध्य प्रदेश	आईईएस यूनिवर्सिटी	आईईएस परिसर, रातीबड़ मेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश-462004
11	मध्य प्रदेश	एसएएम ग्लोबल यूनिवर्सिटी	ग्राम अगरिया चोपरा, भोपाल रोड, सांची, रायसेन, मध्य प्रदेश-464551
12	मध्य प्रदेश	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी	सरदार पटेल नॉलेज सिटी, वारसिवनी रोड, डोंगरिया, बालाघाट, मध्य प्रदेश-481331
13	मध्य प्रदेश	रिनाइसेंस यूनिवर्सिटी	ग्राम रेवती, अरबिंदो अस्पताल के पीछे, सांवेर-उज्जैन रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश-453111
14	मध्य प्रदेश	श्री अरबिंदो यूनिवर्सिटी	इंदौर-उज्जैन राजकीय राजमार्ग, एमआर-10 क्रॉसिंग के पास, सांवेर रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश-453555
15	मध्य प्रदेश	भाभा यूनिवर्सिटी	एनएच-12, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, भोपाल, मध्य प्रदेश-462026
16	पंजाब	चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी	एनएच-95, चंडीगढ़-लुधियाना हाईवे, घरुआं, मोहाली, पंजाब-140413
17	राजस्थान	एपेक्स यूनिवर्सिटी	साइंस टेक सिटी, एनएच-58, लिंक रोड, 248, अचरोल, जयपुर, राजस्थान-303002
18	राजस्थान	निर्वाण यूनिवर्सिटी	एनएच-21, ग्राम झार, आगरा रोड हाईवे, बस्सी के पास, जयपुर, राजस्थान-303305
19	तमिलनाडु	धनलक्ष्मी श्रीनिवासन यूनिवर्सिटी	एनएच-45, त्रिची-चेन्नई ट्रंक रोड, समयपुरम, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु-621112
20	उत्तर प्रदेश	नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी	प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 17ए, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201308



भारतीय उपचर्या परिषद्

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालय का नाम	पता
21	उत्तर प्रदेश	अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा यूनिवर्सिटी	9वीं मंजिल, अकादमिक ब्लॉक, डॉ राम मनोहर लोहिया चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010
22	उत्तर प्रदेश	जे एस यूनिवर्सिटी	5 किमी माइलस्टोन, मैनपुरी रोड, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश-283135
23	उत्तर प्रदेश	महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी	आरोग्य धाम, बालापर रोड, सोनाबरसा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273007
भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत पीएच.डी. (नर्सिंग) कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है।			
24	महाराष्ट्र	सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी	पुणे
25	उत्तर प्रदेश	तीर्थकर यूनिवर्सिटी	मुरादाबाद
26	कर्नाटक	एनआईटीटीई यूनिवर्सिटी	मंगलुरु
27	बिहार	गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी	रोहतास

वर्ष 2022-23 के लिए नियोजित क्रियाकलाप

1. धारा 13 व 14 के तहत संस्थानों का निरीक्षण, और भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुनः निरीक्षण, सीटों की संख्या में वृद्धि हेतु निरीक्षण तथा आवधिक निरीक्षण।
2. अधिनियम के प्रयोजन के लिए भारतीय उपचर्या परिषद् की कार्यकारी समिति/उपचर्या शिक्षा समिति/साधारण निकाय की बैठकों का आयोजन करना।
3. राज्य उपचर्या परिषदों के रजिस्ट्रारों की वार्षिक बैठक आयोजित करना।
4. सभी नर्सिंग शिक्षा संस्थानों को एनआरटीएस में प्राथमिक पंजीकरण का उन्मुखीकरण और कार्यान्वयन।
5. एनआरटीएस (लाइव रजिस्टर) के तहत प्राथमिक पंजीकरण का कार्यान्वयन।
6. नर्सिंग कॉलेजों के शिक्षण संकाय के लिए संशोधित बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन।
7. 18 माह अवधि के नर्स प्रेक्टिशनर इन मिडवाइफरी पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन।
8. मिडवाइफरी प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्षमता निर्माण कार्यान्वयन।
9. ई-लर्निंग मॉड्यूल तैयार करना।
10. नर्स प्रेक्टिशनर इन एमरजेंसी एंड ट्रोमा – पोस्ट बेसिक डिप्लोमा को रेजीडेंसी कार्यक्रम में पुनर्गठित कर राजपत्रित करना।
11. चयनित संस्थानों में डीएनपी कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
12. ई-लर्निंग में मातृ स्वास्थ्य देखभाल के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल।
13. राष्ट्रीय मिडवाइफरी प्रशिक्षण संस्थानों की निगरानी।

हमारे प्रकाशन

क्र.सं.	मूल्य निर्धारित पाठ्यक्रम पुस्तिकाओं के नाम
1.	ए.एन.एम. पाठ्यक्रम
2.	जी.एन.एम. पाठ्यक्रम – 3 वर्षीय (संसोधित 2015)
3.	बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम (2020)
4.	पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम
5.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन बर्न्स एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी स्पेशियलिटी नर्सिंग
6.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन कार्डियो-थोरेकिक नर्सिंग
7.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग
8.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन एमरजेंसी एंड डिजास्टर नर्सिंग
9.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन फोरेंसिक नर्सिंग
10.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन गेरेंटोलॉजीकल नर्सिंग
11.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन हेमेटोलॉजी नर्सिंग
12.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नियोनेटल नर्सिंग
13.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन न्यूरोसाइंस नर्सिंग
14.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी
15.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑनकोलॉजी नर्सिंग
16.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑपरेशन रूम नर्सिंग
17.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑर्थोपायडिक्स एंड रिहैबिलिटेशन नर्सिंग
18.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक/मैंटल हेल्थ नर्सिंग
19.	नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर पीजी रेजिडेंसी प्रोग्राम (सिलेबस एंड रेगुलेशन)
20.	नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर पीजी रेजिडेंसी प्रोग्राम (गाइडबुक फॉर एनपीसीसी करीकुलम)
क्र.सं.	मूल्य निर्धारित अन्य प्रकाशनों के नाम
1.	क्लिनिकल एसाइनमेंट – गाइडलाइंस
2.	कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट
3.	भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947
4.	भारतीय उपचर्या परिषद् विनियम
5.	लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स एंड आर्टिकल्स (कौशल प्रयोगशाला वस्तुओं सहित)
6.	प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक
7.	टीचिंग मेटिरियल फॉर क्वालिटी एस्योरेंस मॉडल नर्सिंग
8.	प्रैक्टिश स्टेण्डर्ड्स फॉर साइकियाट्रिक-मैंटल हेल्थ नर्सिंग
9.	नर्स स्टेण्डर्ड्स फॉर क्रिटिकल केयर (आईएनसी-पीएससीसीएनपी)



Annual Report

2021-2022



Indian Nursing Council

STRIVING TO ACHIEVE UNIFORM STANDARDS OF NURSING EDUCATION





CONTENTS

	Page
1. Introduction-----	43
2. Aims -----	43
3. Functions-----	43
4. Composition of the Council-----	44
5. Organisational Structure-----	45
6. Committees -----	45
7. Use of Hindi as Official Language -----	46
8. Equivalency of Foreign Qualification-----	46
9. Court Cases-----	47
10. Sources of Income -----	47
11. Activities Completed during 2021-2022 -----	48
12. Activities Planned for the Year 2022-2023 -----	74
13. Our Publications-----	75



Introduction

The Indian Nursing Council is an autonomous body under the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare. The Indian Nursing Council Act, 1947 enacted by Parliament gives statutory powers to the Council to maintain uniform standards and regulation of nursing education all over the Country.

Aims

To establish a uniform standard of training for nurses, midwives and health visitors.

Functions

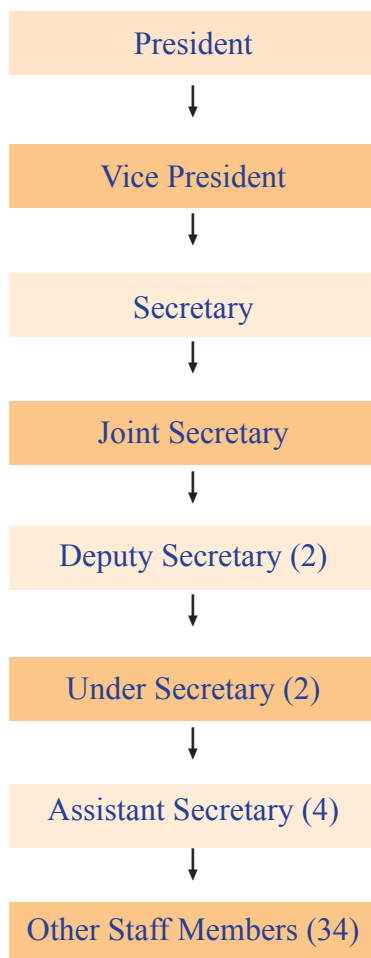
1. To establish and monitor uniform standards of nursing for nurses, midwives, auxiliary nurse midwives and health visitors' education by doing inspection of the recognised training nursing institution under Section 13 of the Indian Nursing Council Act, 1947 in order to assess the suitability with regard to availability of Teaching faculty, Clinical and Infrastructural facilities in conformity with Regulations framed under the provisions of the Indian Nursing Council Act, 1947.
2. To recognise the qualification(s) under Section 10(2)(4) of the Indian Nursing Council Act, 1947 for the purpose of registration and employment in India and abroad.
3. To prescribe minimum standards of education and training in various nursing programs and prescribe the syllabus & regulations for nursing programs under Section 16 of the Indian Nursing Council Act, 1947.
4. Power to withdraw the recognition of qualification under Section 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947 in case the institution fails to maintain its standards under Section 14(1)(b) of the Act when an institution recognised by a State Council for the training of nurses, midwives, auxiliary nurse midwives or health visitors does not satisfy the requirements of the Council.
5. To recognise Degree/Diploma/Certificate awarded by Foreign Universities.
6. To give approval for registration of Indian and Foreign Nurses possessing foreign qualification under Section 11(2)(a) of the Indian Nursing Council Act, 1947.
7. To maintain Indian Nurses Register for registration of nursing personnel under Section 15-A of the Indian Nursing Council Act, 1947.
8. To advise the State Nursing Councils, Examining Boards, State Governments and Central Government in various important items regarding nursing education in the country.
9. To promote research in nursing.
10. To prescribe code of ethics and professional conduct.
11. To regulate the policies of nursing programs in the field of nursing to improve the quality of nursing education.



Composition of the Council

Section No.	Section Detail	Total Membership
3(1)(a)	State Councils of Nursing (Nurse)	30
3(1)(b)	Head of Institutions (Universities)	2
3(1)(c)	Head of Institutions (Health Visitors)	1
3(1)(d)	Medical Council of India (MCI)	1
3(1)(e)	Indian Medical Association (IMA)	1
3(1)(f)	Trained Nurses Association of India (TNAI)	1
3(1)(g)	State Councils of Nursing (Midwife/ANM) on rotation	4
3(1)(h)	Director General of Health Services (DGHS) – ex-officio	1
3(1)(i)	Chief Matron, Army Headquarters – ex-officio	1
3(1)(j)	Nursing Adviser – ex-officio	1
3(1)(k)	Director of Maternity, Indian Red Cross Society – ex-officio	1
3(1)(l)	Director of Health/ME (States)	30
3(1)(m)	Superintendent of Nursing Services	8
3(1)(n)	Government of India Nomination	4
3(1)(o)	Members of Parliament	3
Total		89

Organisational Structure



Following are the office bearers of the Council:-

Dr. T. Dileep Kumar	– President
Dr. Asha Sharma	– Vice President

Following are the officers of the Council:-

Lt. Col. (Dr.) Sarvjeet Kaur	– Secretary
Mrs. K.S. Bharati	– Joint Secretary

Committees

- 1. Executive Committee of the Council** – To deliberate on the issues related to maintenance of standards of nursing education programs.
- 2. The Nursing Education Committee** – To deliberate on the issues concerning nursing education.



3. **Equivalence Committee** – To deliberate on the issues of recognition of foreign qualifications for the purpose of registration under Section 11(2)(a) or (b) of the Indian Nursing Council Act, 1947, as amended.
4. **Finance Advisory Committee** – To deliberate on purchase & any other financial issues.
5. **Vigilance Committee** – To deliberate on the ethical issues to be followed by nurses & unethical practice if found guilty action to be recommended.
6. **Departmental Promotional Committee**
7. **Anti-Ragging Committee**
8. There are other various sub-committees constituted by the Council from time to time for revision of various nursing programs.

Use of Hindi as Official Language

The letters received in Hindi from different States are generally replied in Hindi. Efforts are being made to promote use of Hindi in writing notes and other correspondence.

Equivalency of Foreign Qualification

1. Indian citizens possessing foreign nursing qualification are examined individually & after examination of the syllabi and confirmation from concerned foreign authorities, the nurses are granted approval for registration in India with the recommendation of equivalence committee under Section 11(2)(a) of the Indian Nursing Council Act, 1947.
2. Indian Nationals who are registered nurses and midwives in India and have acquired foreign Nursing degree shall obtain equivalency from Indian Nursing Council, before registering their additional qualification in the respective State Nursing and Midwifery Registration Council.
3. The foreign Nationals possessing foreign qualification can also work in charitable institutions for a limited period with the approval of President, Indian Nursing Council. Their transcripts are evaluated/examined by the Equivalence Committee Members and if they are found at par, temporary permission is granted under Section 11(2)(b) of the Indian Nursing Council Act, 1947 for employment in charitable institutions.
4. If, the foreign Nationals (including Nepali, Bangladeshi and Bhutanese) who are Registered Nurses and Registered Midwives in their own country, they can be admitted for higher nursing education in India, i.e. they can be admitted to P.B.B.Sc. (Nursing) Program and M.Sc. (Nursing) except OBG. However, they will not be registered to practice in India. Even no temporary registration will be provided to them.
 - for admission to ANM, GNM, B.Sc. (Nursing) the entry qualification equivalency i.e. 12th standard will be obtained by Association of Indian Universities. Nursing educational institution, State Nursing Council, Universities will be responsible to ensure that the qualification and eligibility shall be equivalent to what has been prescribed by Indian Nursing Council.

5. With regard to qualification granted by five English speaking countries (New Zealand, Australia, USA, Canada, UK) to the NRI, the candidates' qualification is found equivalent subject to the following conditions:
- shall be holding registered nurse license to practice in that country with the said qualification;
 - if NRI candidates undergo PG nursing from the five English speaking countries, PG qualification will be recognised as higher qualification if the duration of the PG course is two years and it shall be regular course.

During the year 14 cases for equivalency were received, and 5 cases have been decided.

Court Cases

76 Court Cases were registered in various High Courts of India during the year 2021-2022. 21 cases were disposed off.

Sources of Income

Income and Expenditure Account for the year ending 31 st March 2022 (2021-2022)			
Amount in Rs.			
INCOME		EXPENDITURE	
Particular	Amount	Particular	Amount
Income from Sales of Publication	15,63,312.14	Establishment Expenses	4,48,06,449.46
Grants from Government of India		Others Administrative Expenses etc.	25,42,22,121.62
Fees	21,94,25,448.10	Depreciation (Net Total at the year-end-corresponding to Schedule 8)	3,47,55,577.60
Interest Earned	2,44,53,595.53		
Other Income	1,05,75,448.24	Other Expenditure	
Increase/(Decrease) in Stock of Finished Goods	1,18,505.14		
Total – A	25,61,36,309.15	Total – B	33,37,84,148.68
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)			(7,76,47,839.53)
Balance being Surplus/(Deficit) carried to Corpus/Capital Fund			(7,76,47,839.53)



Activities Completed during 2021-2022

1. List of State recognized schools of nursing and colleges of nursing found suitable by Indian Nursing Council under Section 13 & 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947 are being published and updated periodically on the website.
2. **In order to have uniformity of nursing education standards, inspections of nursing institutions are conducted under Section 13 of the Indian Nursing Council Act, 1947.**

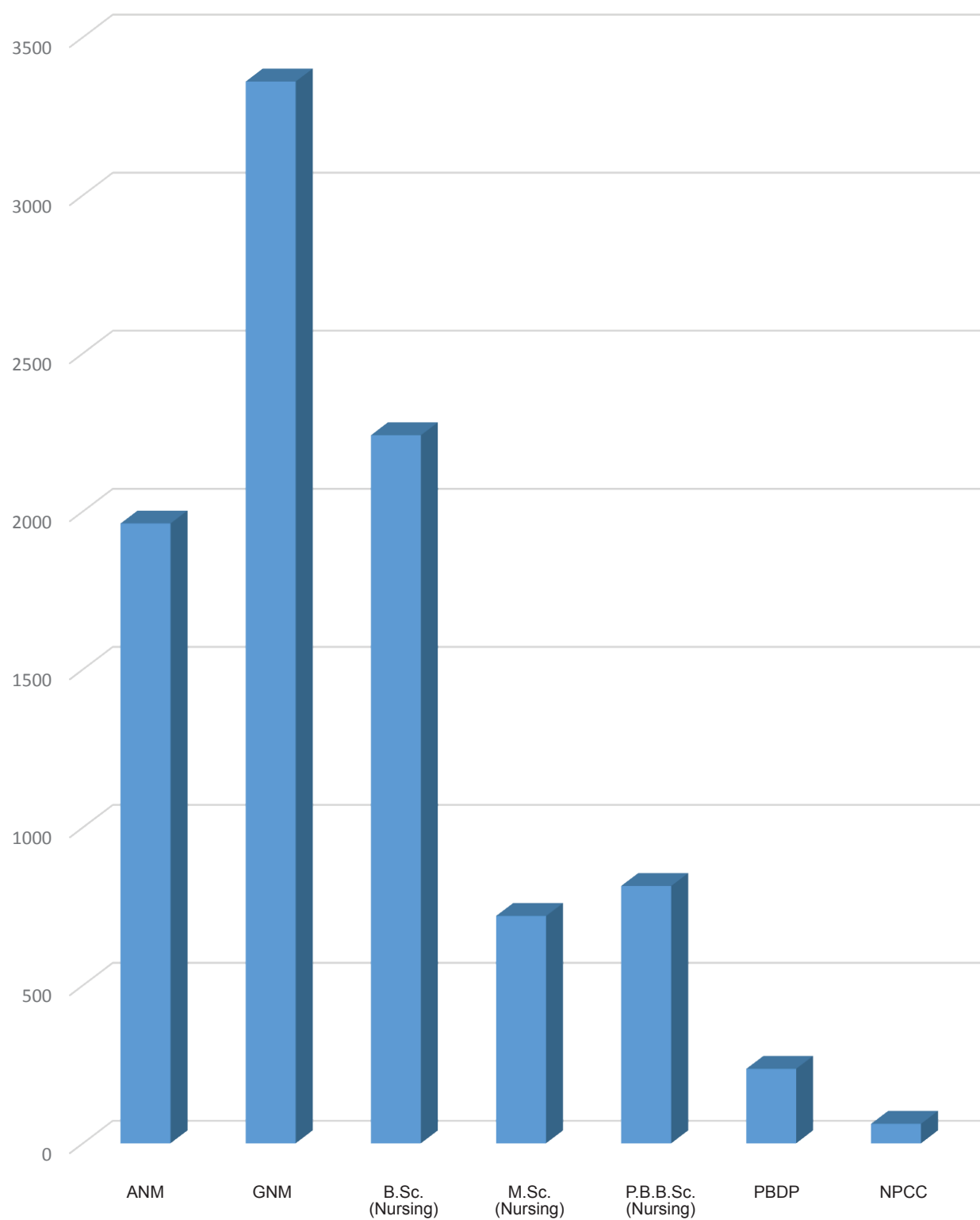
A total of 2111 inspections under Section 13 of the Indian Nursing Council Act, 1947 were conducted during 2021-2022 financial year. The break-up is as given below:-

Programs	Total
ANM	292
GNM	717
B.Sc. (Nursing)	658
M.Sc. (Nursing)	179
P.B.B.Sc. (Nursing)	220
Nurse Practitioner in Critical Care (NPCC)	5
Nurse Practitioner in Midwifery (NPM)	1
Post Basic Diploma Program (PBDP)	18
Ph.D. in Nursing	4
Upgradation	17
Grand Total	2111

3. **Total number of State recognized nursing institutions and found suitable by Indian Nursing Council under Section 13 & 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947 as on 31st March 2022 for the various nursing programs is as follows:**

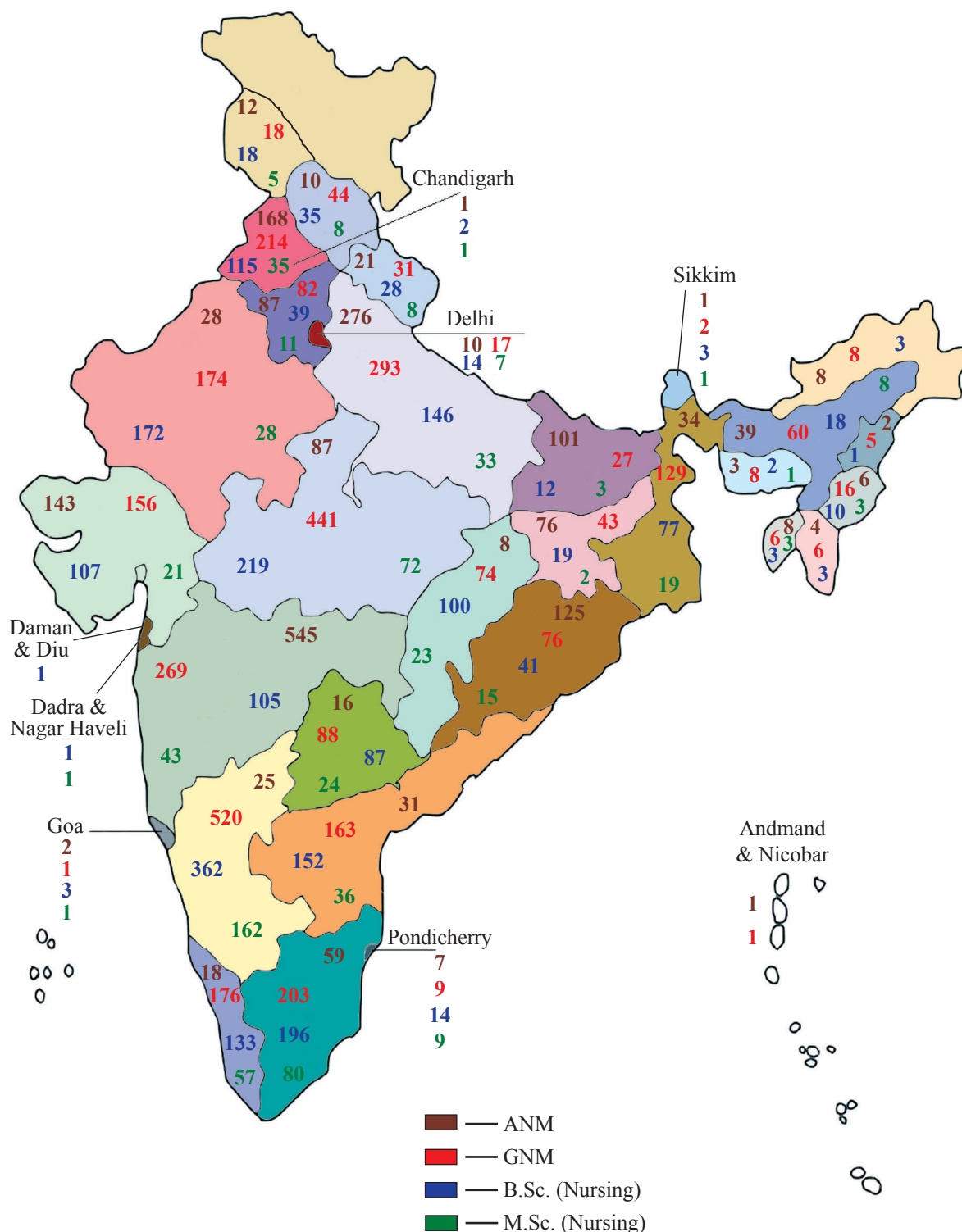
Programs	Total
ANM	1962
GNM	3360
B.Sc. (Nursing)	2241
P.B.B.Sc. (Nursing)	815
M.Sc. (Nursing)	720
Post Basic Diploma Program (PBDP)	236
Nurse Practitioner in Critical Care (NPCC)	62

Distribution of Nursing Programs as on 31st March 2022





Distribution of Nursing Programs in different States as on 31st March 2022



4. Total Number of Institutions as on 31st March 2022

State Name	Total No. of Institutions		
	Government	Private	Total
Andaman & Nicobar	1	0	1
Andhra Pradesh	19	272	291
Arunachal Pradesh	6	8	14
Assam	28	60	88
Bihar	28	89	117
Chandigarh	4	0	4
Chhattisgarh	23	112	135
Dadra & Nagar Haveli	1	0	1
Daman & Diu	1	0	1
Delhi	14	24	38
Goa	2	3	5
Gujarat	55	177	232
Haryana	11	101	112
Himachal Pradesh	9	50	59
Jammu & Kashmir	4	30	34
Jharkhand	17	85	102
Karnataka	43	625	668
Kerala	34	232	266
Leh & Ladakh	0	0	0
Madhya Pradesh	37	477	514
Maharashtra	60	654	714
Manipur	4	21	25
Meghalaya	3	8	11
Mizoram	7	4	11
Nagaland	4	2	6
Orissa	35	154	189
Pondicherry	5	12	17
Punjab	19	237	256
Rajasthan	37	253	290
Sikkim	1	3	4
Tamil Nadu	40	307	347
Telangana	13	146	159
Tripura	5	10	15
Uttar Pradesh	25	340	365
Uttarakhand	15	32	47
West Bengal	76	113	189
Grand Total	686	4641	5327



5. Distribution of Nursing Educational Institutions & Programs as on 31st March 2022

State	ANM						GNM					
	Institution		Seats		Total		Institution		Seats		Total	
	Govt.	Pvt.	Govt.	Pvt.	Instt.	Seats	Govt.	Pvt.	Govt.	Pvt.	Instt.	Seats
Andaman & Nicobar	1	0	20	0	1	20	1	0	20	0	1	20
Andhra Pradesh	4	27	140	770	31	910	10	153	500	6625	163	7125
Arunachal Pradesh	4	4	80	110	8	190	4	4	110	180	8	290
Assam	11	28	310	765	39	1075	22	38	1104	1290	60	2394
Bihar	20	81	525	3040	101	3565	7	20	371	925	27	1296
Chandigarh	1	0	20	0	1	20	0	0	0	0	0	0
Chhattisgarh	5	3	210	100	8	310	14	60	480	2075	74	2555
Dadra & Nagar Haveli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delhi	2	8	80	270	10	350	2	15	45	630	17	675
Goa	1	1	40	60	2	100	1	0	50	0	1	50
Gujarat	30	113	920	3300	143	4220	25	131	1030	5595	156	6625
Haryana	7	80	190	2580	87	2770	4	78	110	3220	82	3330
Himachal Pradesh	2	8	70	240	10	310	7	37	220	1390	44	1610
Jammu & Kashmir	0	12	0	405	12	405	0	18	0	735	18	735
Jharkhand	9	67	290	2120	76	2410	6	37	210	1475	43	1685
Karnataka	12	13	360	370	25	730	17	503	746	23985	520	24731
Kerala	8	10	205	300	18	505	19	157	555	4865	176	5420
Leh & Ladakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madhya Pradesh	18	69	625	2270	87	2895	19	422	995	16410	441	17405
Maharashtra	32	513	750	11265	545	12015	38	231	1239	6675	269	7914
Manipur	3	3	100	80	6	180	2	14	60	490	16	550
Meghalaya	1	2	20	45	3	65	2	6	80	175	8	255
Mizoram	3	1	90	30	4	120	3	3	60	100	6	160
Nagaland	1	1	30	30	2	60	3	2	100	60	5	160
Orissa	20	105	760	3155	125	3915	10	66	630	2470	76	3100
Pondicherry	2	5	50	130	7	180	3	6	100	230	9	330
Punjab	7	161	240	5530	168	5770	10	204	480	10093	214	10573
Rajasthan	19	9	520	260	28	780	12	162	685	7700	174	8385
Sikkim	1	0	20	0	1	20	1	1	20	20	2	40
Tamil Nadu	13	46	700	1450	59	2150	25	178	2130	5005	203	7135
Telangana	3	13	60	395	16	455	6	82	300	3662	88	3962
Tripura	3	5	125	210	8	335	2	4	100	150	6	250
Uttar Pradesh	11	265	250	9710	276	9960	6	287	220	12900	293	13120
Uttarakhand	7	14	170	425	21	595	4	27	160	1020	31	1180
West Bengal	21	13	1185	530	34	1715	43	86	2777	4935	129	7712
Grand Total	282	1680	9155	49945	1962	59100	328	3032	15687	125085	3360	140772

6. Distribution of Nursing Educational Institutions & Programs as on 31st March 2022

State	B.Sc. (Nursing)						M.Sc. (Nursing)					
	Institution		Seats		Total		Institution		Seats		Total	
	Govt.	Pvt.	Govt.	Pvt.	Instt.	Seats	Govt.	Pvt.	Govt.	Pvt.	Instt.	Seats
Andaman & Nicobar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andhra Pradesh	12	140	695	7335	152	8030	3	33	105	621	36	726
Arunachal Pradesh	0	3	0	150	3	150	0	0	0	0	0	0
Assam	4	14	230	620	18	850	3	5	57	74	8	131
Bihar	2	10	110	540	12	650	1	2	10	55	3	65
Chandigarh	2	0	120	0	2	120	1	0	20	0	1	20
Chhattisgarh	9	91	470	4100	100	4570	4	19	105	368	23	473
Dadra & Nagar Haveli	1	0	60	0	1	60	1	0	20	0	1	20
Daman & Diu	1	0	50	0	1	50	0	0	0	0	0	0
Delhi	9	5	425	240	14	665	3	4	45	85	7	130
Goa	1	2	100	80	3	180	1	0	25	0	1	25
Gujarat	9	98	450	4525	107	4975	3	18	45	359	21	404
Haryana	3	36	145	1700	39	1845	1	10	30	212	11	242
Himachal Pradesh	1	34	60	1310	35	1370	1	7	25	156	8	181
Jammu & Kashmir	4	14	200	680	18	880	0	5	0	88	5	88
Jharkhand	1	18	50	860	19	910	0	2	0	45	2	45
Karnataka	15	347	965	18895	362	19860	6	156	70	3290	162	3360
Kerala	12	121	745	7155	133	7900	8	49	155	907	57	1062
Leh & Ladakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madhya Pradesh	10	209	740	9210	219	9950	4	68	111	1197	72	1308
Maharashtra	6	99	300	4695	105	4995	3	40	55	705	43	760
Manipur	2	8	90	280	10	370	2	1	18	8	3	26
Meghalaya	1	1	50	40	2	90	1	0	10	0	1	10
Mizoram	2	1	65	30	3	95	0	0	0	0	0	0
Nagaland	0	1	0	40	1	40	0	0	0	0	0	0
Orissa	4	37	265	1680	41	1945	3	12	62	320	15	382
Pondicherry	3	11	235	750	14	985	3	6	67	126	9	193
Punjab	6	109	320	5680	115	6000	2	33	50	671	35	721
Rajasthan	11	161	790	7375	172	8165	8	20	190	325	28	515
Sikkim	0	3	0	170	3	170	0	1	0	25	1	25
Tamil Nadu	5	191	250	12080	196	12330	2	78	65	1679	80	1744
Telangana	6	81	380	4600	87	4980	1	23	30	463	24	493
Tripura	0	3	0	150	3	150	0	3	0	45	3	45
Uttar Pradesh	9	137	570	5890	146	6460	1	32	50	699	33	749
Uttarakhand	7	21	360	995	28	1355	2	6	43	117	8	160
West Bengal	18	59	1135	3795	77	4930	9	10	205	180	19	385
Grand Total	176	2065	10425	105650	2241	116075	77	643	1668	12820	720	14488



7. Distribution of Nursing Educational Institutions & Programs as on 31st March 2022

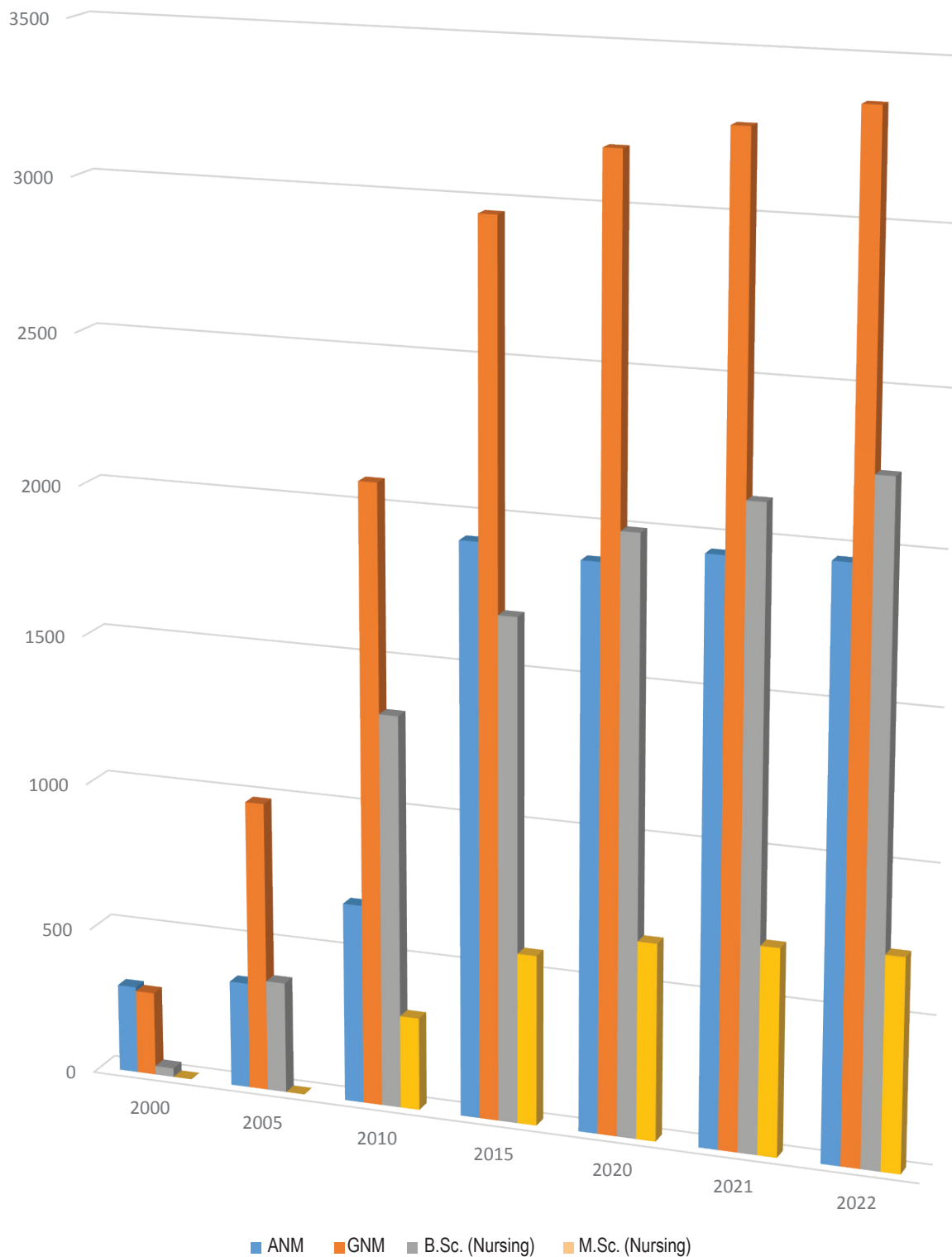
State	P.B.B.Sc. (Nursing)						PBDP (Post Basic Diploma Program)					
	Institution		Seats		Total		Institution		Seats		Total	
	Govt.	Pvt.	Govt.	Pvt.	Instt.	Seats	Govt.	Pvt.	Govt.	Pvt.	Instt.	Seats
Andaman & Nicobar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andhra Pradesh	1	32	30	920	33	950	4	9	60	90	13	150
Arunachal Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assam	0	4	0	115	4	115	1	2	30	20	3	50
Bihar	1	2	40	90	3	130	0	3	0	40	3	40
Chandigarh	1	0	40	0	1	40	2	0	30	0	2	30
Chhattisgarh	1	17	20	505	18	525	2	1	40	10	3	50
Dadra & Nagar Haveli	1	0	20	0	1	20	0	0	0	0	0	0
Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delhi	1	3	20	80	4	100	9	3	160	40	12	200
Goa	1	0	10	0	1	10	3	0	60	0	3	60
Gujarat	1	26	30	700	27	730	6	4	115	25	10	140
Haryana	1	27	30	805	28	835	0	5	0	55	5	55
Himachal Pradesh	1	13	30	325	14	355	0	0	0	0	0	0
Jammu & Kashmir	0	4	0	170	4	170	0	0	0	0	0	0
Jharkhand	1	4	30	130	5	160	2	0	21	0	2	21
Karnataka	4	173	160	6365	177	6525	13	28	170	355	41	525
Kerala	6	34	190	1015	40	1205	12	14	137	185	26	322
Leh & Ladakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madhya Pradesh	7	73	320	2185	80	2505	0	7	0	75	7	75
Maharashtra	2	49	70	1405	51	1475	14	16	209	225	30	434
Manipur	0	4	0	90	4	90	0	0	0	0	0	0
Meghalaya	0	1	0	30	1	30	0	0	0	0	0	0
Mizoram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagaland	0	1	0	20	1	20	0	0	0	0	0	0
Orissa	1	12	40	470	13	510	2	1	30	10	3	40
Pondicherry	2	5	55	165	7	220	2	5	20	75	7	95
Punjab	4	90	125	3040	94	3165	5	2	43	30	7	73
Rajasthan	2	46	45	1255	48	1300	0	0	0	0	0	0
Sikkim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tamil Nadu	2	60	90	2075	62	2165	1	32	10	415	33	425
Telangana	1	17	10	520	18	530	1	8	15	95	9	110
Tripura	0	1	0	20	1	20	0	0	0	0	0	0
Uttar Pradesh	2	47	80	1370	49	1450	5	0	80	0	5	80
Uttarakhand	1	7	30	210	8	240	0	0	0	0	0	0
West Bengal	7	11	390	455	18	845	6	6	95	85	12	180
Grand Total	52	763	1905	24530	815	26435	90	146	1325	1830	236	3155


8. Distribution of Nursing Educational Institutions & Programs as on 31st March 2022

State	Nurse Practitioner in Critical Care (NPCC)					
	Institution		Seats		Total	
	Govt.	Pvt.	Govt.	Pvt.	Instt.	Seats
Andaman & Nicobar	0	0	0	0	0	0
Andhra Pradesh	0	1	0	10	1	10
Arunachal Pradesh	0	0	0	0	0	0
Assam	0	1	0	10	1	10
Bihar	0	0	0	0	0	0
Chandigarh	0	0	0	0	0	0
Chhattisgarh	0	1	0	10	1	10
Dadra & Nagar Haveli	0	0	0	0	0	0
Daman & Diu	0	0	0	0	0	0
Delhi	0	3	0	40	3	40
Goa	0	0	0	0	0	0
Gujarat	1	2	10	20	3	30
Haryana	1	3	15	40	4	55
Himachal Pradesh	0	0	0	0	0	0
Jammu & Kashmir	0	0	0	0	0	0
Jharkhand	0	0	0	0	0	0
Karnataka	1	9	10	145	10	155
Kerala	0	7	0	120	7	120
Leh & Ladakh	0	0	0	0	0	0
Madhya Pradesh	0	2	0	20	2	20
Maharashtra	0	5	0	80	5	80
Manipur	0	0	0	0	0	0
Meghalaya	0	0	0	0	0	0
Mizoram	0	0	0	0	0	0
Nagaland	0	0	0	0	0	0
Orissa	0	0	0	0	0	0
Pondicherry	0	1	0	10	1	10
Punjab	1	2	5	20	3	25
Rajasthan	1	1	25	20	2	45
Sikkim	0	0	0	0	0	0
Tamil Nadu	0	9	0	115	9	115
Telangana	0	4	0	80	4	80
Tripura	0	0	0	0	0	0
Uttar Pradesh	0	3	0	40	3	40
Uttarakhand	0	2	0	25	2	25
West Bengal	0	1	0	10	1	10
Grand Total	5	57	65	815	62	880



Program-wise Growth of Nursing Institutions



9. Growth of Auxiliary Nurse & Midwife (ANM) Schools

S.No.	States	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022
1	Andaman & Nicobar	1	1	1	1	1	1	1
2	Andhra Pradesh	50	49	34	69	31	31	31
3	Arunachal Pradesh	1	1	2	4	7	7	8
4	Assam	5	6	7	19	35	38	39
5	Bihar	19	21	27	75	111	112	101
6	Chandigarh	1	1	0	1	1	1	1
7	Chhattisgarh	3	4	8	93	5	6	8
8	Dadra & Nagar Haveli	0	0	0	0	0	0	0
9	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0
10	Delhi	1	1	4	7	10	10	10
11	Goa	1	1	1	2	2	2	2
12	Gujarat	3	4	8	99	133	135	143
13	Haryana	8	13	40	82	87	88	87
14	Himachal Pradesh	8	8	6	8	9	10	10
15	Jammu & Kashmir	1	1	3	15	14	14	12
16	Jharkhand	13	15	14	49	65	71	76
17	Karnataka	7	5	26	43	26	26	25
18	Kerala	26	25	14	19	18	18	18
19	Leh & Ladakh	0	0	0	0	0	0	0
20	Madhya Pradesh	19	20	76	111	90	90	87
21	Maharashtra	25	27	180	572	544	546	545
22	Manipur	1	3	6	11	7	7	6
23	Meghalaya	1	2	2	2	3	3	3
24	Mizoram	2	2	3	3	4	4	4
25	Nagaland	1	1	1	1	2	2	2
26	Orissa	22	22	50	131	129	129	125
27	Pondicherry	0	1	1	4	7	7	7
28	Punjab	12	35	49	176	168	171	168
29	Rajasthan	15	16	11	29	26	28	28
30	Sikkim	1	1	0	1	1	1	1
31	Tamil Nadu	13	15	13	37	46	58	59
32	Telangana	–	–	–	–	17	17	16
33	Tripura	0	1	2	3	5	8	8
34	Uttar Pradesh	29	29	26	180	243	258	276
35	Uttarakhand	5	5	6	20	20	21	21
36	West Bengal	4	24	55	54	25	29	34
Grand Total		298	360	676	1921	1892	1949	1962
Growth in %			20.80%	87.77%	184.17%	(-) 0.63%	3.01%	0.67%

(-) Closure of Nursing Institutions due to no admission.



10. Growth of General Nursing & Midwifery (GNM) Schools

S.No.	States	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022
1	Andaman & Nicobar	0	1	1	1	1	1	1
2	Andhra Pradesh	53	130	245	253	156	158	163
3	Arunachal Pradesh	1	2	2	5	7	7	8
4	Assam	4	11	17	30	55	58	60
5	Bihar	9	13	9	16	26	26	27
6	Chandigarh	0	0	0	0	0	0	0
7	Chhattisgarh	0	2	12	58	82	83	74
8	Dadra & Nagar Haveli	0	0	1	1	0	0	0
9	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0
10	Delhi	8	16	21	18	18	18	17
11	Goa	0	1	2	1	1	1	1
12	Gujarat	15	23	51	102	152	155	156
13	Haryana	3	19	42	78	83	84	82
14	Himachal Pradesh	3	6	26	35	43	44	44
15	Jammu & Kashmir	1	2	5	16	17	17	18
16	Jharkhand	1	1	16	24	29	39	43
17	Karnataka	47	283	526	519	475	504	520
18	Kerala	42	92	220	209	176	176	176
19	Leh & Ladakh	0	0	0	0	0	0	0
20	Madhya Pradesh	8	24	69	313	395	402	441
21	Maharashtra	28	60	109	254	265	269	269
22	Manipur	0	4	7	13	16	16	16
23	Meghalaya	1	5	7	7	8	8	8
24	Mizoram	1	4	5	5	6	6	6
25	Nagaland	1	1	1	4	5	5	5
26	Orissa	4	10	40	76	78	78	76
27	Pondicherry	0	1	2	5	9	9	9
28	Punjab	12	79	149	214	211	214	214
29	Rajasthan	3	55	157	173	168	174	174
30	Sikkim	0	0	0	2	2	2	2
31	Tamil Nadu	21	72	169	210	207	207	203
32	Telangana	–	–	–	–	88	88	88
33	Tripura	0	3	3	5	6	6	6
34	Uttar Pradesh	8	35	114	228	287	295	293
35	Uttarakhand	0	0	6	19	32	32	31
36	West Bengal	11	28	49	64	81	93	129
Grand Total		285	983	2083	2958	3185	3275	3360
Growth in %			244.91%	111.90%	42.00%	(-) 0.84%	2.82%	2.59%

(-) Closure of Nursing Institutions due to no admission.

11. Growth of B.Sc. (Nursing) Colleges

S.No.	States	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022
1	Andaman & Nicobar	0	0	0	0	0	0	0
2	Andhra Pradesh	1	76	215	225	145	150	152
3	Arunachal Pradesh	0	0	0	1	1	2	3
4	Assam	1	1	6	10	17	18	18
5	Bihar	0	0	0	4	10	10	12
6	Chandigarh	1	1	1	2	2	2	2
7	Chhattisgarh	0	5	35	71	98	101	100
8	Dadra & Nagar Haveli	0	0	0	1	1	1	1
9	Daman & Diu	0	0	0	0	1	1	1
10	Delhi	3	5	11	11	14	14	14
11	Goa	0	0	3	3	3	3	3
12	Gujarat	1	3	27	52	103	108	107
13	Haryana	0	2	19	32	39	41	39
14	Himachal Pradesh	0	0	7	16	31	35	35
15	Jammu & Kashmir	0	0	4	5	16	18	18
16	Jharkhand	0	0	4	7	10	14	19
17	Karnataka	6	160	315	334	314	338	362
18	Kerala	1	12	104	126	132	132	133
19	Leh & Ladakh	0	0	0	0	0	0	0
20	Madhya Pradesh	1	18	86	133	188	198	219
21	Maharashtra	3	12	75	97	104	105	105
22	Manipur	0	0	1	6	8	8	10
23	Meghalaya	0	0	1	2	2	2	2
24	Mizoram	0	1	2	2	3	3	3
25	Nagaland	0	0	0	1	1	1	1
26	Orissa	0	4	14	18	36	40	41
27	Pondicherry	0	5	10	14	15	15	14
28	Punjab	3	16	82	101	108	111	115
29	Rajasthan	1	4	116	152	149	171	172
30	Sikkim	0	1	1	2	3	3	3
31	Tamil Nadu	7	46	138	172	188	192	196
32	Telangana	–	–	–	–	86	87	87
33	Tripura	0	0	1	4	4	4	3
34	Uttar Pradesh	0	2	28	58	111	132	146
35	Uttarakhand	0	1	5	10	23	26	28
36	West Bengal	1	2	15	18	30	41	77
Grand Total		30	377	1326	1690	1996	2127	2241
Growth in %			1156.66%	251.72%	27.45%	1.42%	6.56%	5.36%



12. Growth of M.Sc. (Nursing) Colleges

S.No.	States	2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022
1	Andaman & Nicobar	0	0	0	0	0	0	0
2	Andhra Pradesh	0	2	29	55	36	36	36
3	Arunachal Pradesh	0	0	0	0	0	0	0
4	Assam	0	0	3	5	7	7	8
5	Bihar	0	0	0	0	1	2	3
6	Chandigarh	0	1	1	1	1	1	1
7	Chhattisgarh	0	0	10	16	21	21	23
8	Dadra & Nagar Haveli	0	0	0	0	1	1	1
9	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0
10	Delhi	1	1	3	4	7	7	7
11	Goa	0	0	0	1	1	1	1
12	Gujarat	0	0	2	9	20	21	21
13	Haryana	0	0	1	4	11	11	11
14	Himachal Pradesh	0	0	0	1	8	8	8
15	Jammu & Kashmir	0	0	0	2	4	5	5
16	Jharkhand	0	0	0	0	1	2	2
17	Karnataka	6	20	120	178	156	160	162
18	Kerala	0	3	30	66	57	58	57
19	Leh & Ladakh	0	0	0	0	0	0	0
20	Madhya Pradesh	0	2	20	27	61	68	72
21	Maharashtra	1	2	16	35	41	44	43
22	Manipur	0	0	0	0	2	2	3
23	Meghalaya	0	0	0	0	1	1	1
24	Mizoram	0	0	0	0	0	0	0
25	Nagaland	0	0	0	0	0	0	0
26	Orissa	0	0	4	7	12	14	15
27	Pondicherry	0	0	4	7	7	9	9
28	Punjab	0	2	13	38	36	37	35
29	Rajasthan	0	0	5	18	25	29	28
30	Sikkim	0	0	0	0	1	1	1
31	Tamil Nadu	2	24	44	79	82	82	80
32	Telangana	–	–	–	–	23	24	24
33	Tripura	0	0	0	2	2	2	3
34	Uttar Pradesh	0	0	4	9	20	23	33
35	Uttarakhand	0	0	2	4	8	8	8
36	West Bengal	0	2	4	9	14	16	19
Grand Total		10	59	315	577	667	701	720
Growth in %			490%	433.89%	83.17%	2.14%	5.09%	2.71%

13. Statewise Number of Registered Nurses in India

S.No.	STATE	Total No. of Registered Nurses & Auxiliary Nurses in India as on 31.12.2021		
		ANM	RN & RM	LHV
1	Andhra Pradesh	139812	262076	2480
2	Arunachal Pradesh	7972	8352	346
3	Assam	30174	28599	452
4	Bihar #	19499	26421	511
5	Chhattisgarh #	14930	25368	1352
6	Delhi	5171	80484	0
7	Goa	330	1081	0
8	Gujarat	54364	141477	0
9	Haryana	31989	41518	694
10	Himachal Pradesh*	12007	26611	500
11	Jammu & Kashmir	5264	3999	0
12	Jharkhand	10900	6773	142
13	Karnataka*	54039	231643	6840
14	Kerala	31302	315620	8507
15	Madhya Pradesh*	39563	118793	1731
16	Maharashtra #	81218	152845	685
17	Manipur	4361	12136	0
18	Meghalaya	2224	9603	242
19	Mizoram	2465	4824	0
20	Nagaland	1186	1365	0
21	Orissa #	70679	85561	238
22	Punjab*	23029	76680	2584
23	Rajasthan #	110443	209554	2732
24	Sikkim	236	1860	0
25	Tamil Nadu	61465	332030	11284
26	Telangana	10219	53314	0
27	Tripura	2708	7510	148
28	Uttar Pradesh*	75671	111860	2763
29	Uttarakhand #	9779	16947	37
30	West Bengal	69709	76318	12854
Total		982708	2471222	57122

Source: Respective State Nurses Registration Council

ANM: Auxiliary Nurse Midwives,

RN & RM: Registered Nurses & Registered Midwives,

LHV: Lady Health Visitors,

NA: Not Available,

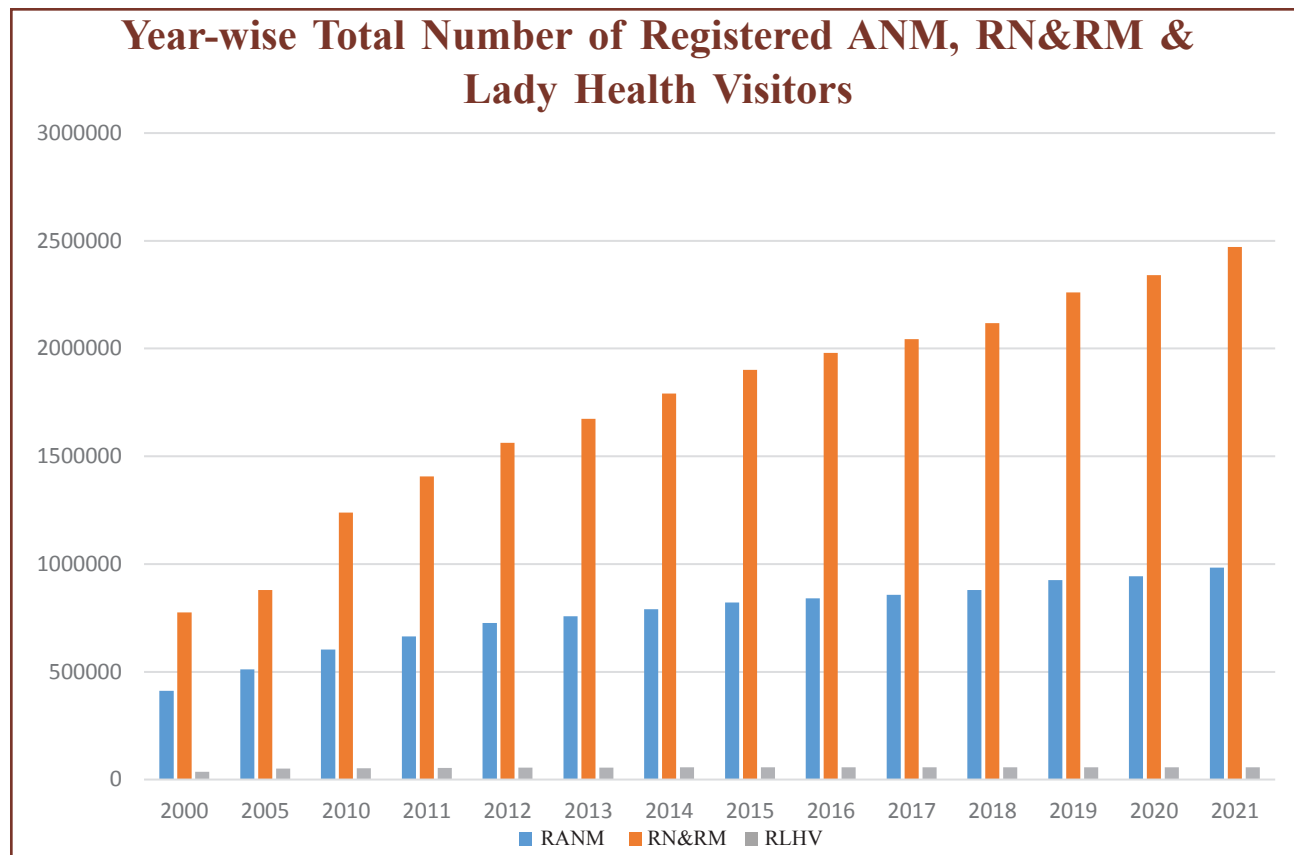
Note: *Last Year Data upto 31.12.2019, # Data upto 31.12.2020.



Year-wise Total Number of Registered* ANM, RN&RM & Lady Health Visitors

Year	RANM	RN&RM	RLHV	Year wise Growth in %		
				RANM	RN&RM	RLHV
2000	411220	775812	35890			
2005	510628	879464	50455	24.17%	13.36%	40.58%
2010	603131	1238874	52963	18.11%	40.86%	4.97%
2011	664453	1406006	54208	10.16%	13.49%	2.35%
2012	726557	1562186	55498	9.34%	11.10%	2.37%
2013	756937	1673338	55691	4.18%	7.11%	0.34%
2014	789740	1791285	56096	4.33%	7.04%	0.72%
2015	821147	1900837	56264	3.97%	6.11%	0.29%
2016	841279	1980536	56367	2.45%	4.19%	0.18%
2017	856984	2043289	56433	1.86%	3.16%	0.12%
2018	879508	2117649	56644	2.63%	3.64%	0.37%
2019	925016	2259785	56819	5.17%	6.71%	0.30%
2020	943951	2340501	56854	2.05%	3.57%	0.06%
2021	982708	2471222	57122	4.11%	5.59%	0.47%

*Source: Data from State Nurses & Registration Council, (–) Closure of Nursing Institutions due to no admission.



14. Revised B.Sc. (Nursing) syllabus

Syllabus has been revised by the Indian Nursing Council to keep update with rapidly evolving health care sector demands.

B.Sc. (Nursing) degree holders with better skill and understanding of the subject will be equipped to attend the patients more effectively and efficiently.

Major Curricular Changes:

- UGC Guidelines – Hybrid form to suit professional education.
- Credit System.
- Semester system – 8 semesters.
- Choice based for electives only.
- Foundational, core and elective courses.
- Competency based curriculum (based on 10 core competencies)

10 (Ten) Core Competencies have been included in B.Sc. (Nursing) Graduate syllabus:

The B.Sc. Graduate nurse will be able to:

1. *Patient Centered Care*

Provide holistic care recognizing individual patient's preferences, values and needs, that is compassionate, coordinated, age and culturally appropriate safe and effective care.

2. *Professionalism*

Demonstrate accountability for the delivery of standard-based nursing care as per INC standards that is consistent with moral, altruistic, legal, ethical, regulatory and humanistic principles.

3. *Teaching & Leadership*

Influence the behavior of individuals and groups within their environment and facilitate establishment of shared goals through teaching and leadership.

4. *System-Based Practice*

Demonstrate awareness and responsiveness to the context of healthcare system and ability to manage resources essential to provide optimal quality of care.

5. *Health Informatics and Technology*

Use technology and synthesize information and collaborate to make critical decisions that optimize patient outcomes.

6. *Communication*

Interact effectively with patients, families and colleagues fostering mutual respect and shared decision making to enhance patient satisfaction and health outcomes.

7. *Teamwork and Collaboration*

Function effectively within nursing and interdisciplinary teams, fostering open communication, mutual respect, shared decision making, team learning and development.



8. *Safety*

Minimize risk of harm to patients and providers through both system effectiveness and individual performance.

9. *Quality Improvement*

Use data to monitor the outcomes of care processes and utilize improvement methods to design and test changes to continuously improve the quality and safety of healthcare system.

10. *Evidence Based Practice*

Identify, evaluate and use the best current evidence coupled with clinical expertise and consideration of patient's preferences, experience and values to make practical decisions.

Following Teaching-Learning Approaches and Methods have been adapted:

- Competency and outcome-based learning.
- Transformational and relationship based educational approaches.
- Blended learning approach – experiential learning, reflective learning, scenario-based learning & simulated learning.
- Simulation/skill lab and clinical learning – mastery learning and self-directed learning.
- Modular learning for mandatory modules within courses & electives.

Curricular quantitative revisions			
	Old Syllabus	New Syllabus	Reasons
No. of courses	23	30	New courses added – 2 Courses separated into two – 5
No. of weeks planned for one year	37	40 weeks (Sem I – 20 weeks, Sem II – 20 weeks)	To accommodate the changes.
Vacation, holidays, exam & Preparatory holidays	15	12 weeks (Sem I – 6 weeks, Sem II – 6 weeks)	To accommodate the changes.

Additional courses/modules	Two courses • Introduction to Forensic Nursing • Professionalism, Professional values & ethics including bioethics Mandatory modules-8 within courses Electives-3 To complete over 8 semesters Skill lab hours increased in view of integration of simulation learning into curriculum
-----------------------------------	---



15. Nurse Practitioner in Midwifery Program

The Government of India (GoI) has taken a key policy decision to strengthen midwifery services in the country, recognizing that high-quality midwifery care can prevent about two thirds of all maternal and newborn deaths and save millions of lives every year. Responding to this decision, 'Guidelines on Midwifery Services in India' has been prepared by MoHFW, GoI in December 2018. It is envisaged that Midwife Led Care Units (MLCUs) would be established at high case load public health facilities (LaQshya certified facilities on priority basis) such as medical colleges, district hospitals and CHCs enabling health women and their newborns to experience high quality, respectful continuity of care provided by midwives who have been educated and trained to international standards.

The 'Midwifery services initiative' aims to create a new cadre of midwives titled "Nurse Practitioners in Midwifery" (NPM) who are skilled in accordance with ICM competencies, knowledgeable and capable of providing compassionate women centered, reproductive, maternal newborn child & adolescent health services (RMNCHA) and to develop an enabling environment for integration of this cadre into the public health system in order to achieve the SDGs for maternal and newborn health (MoHFW, 2018).

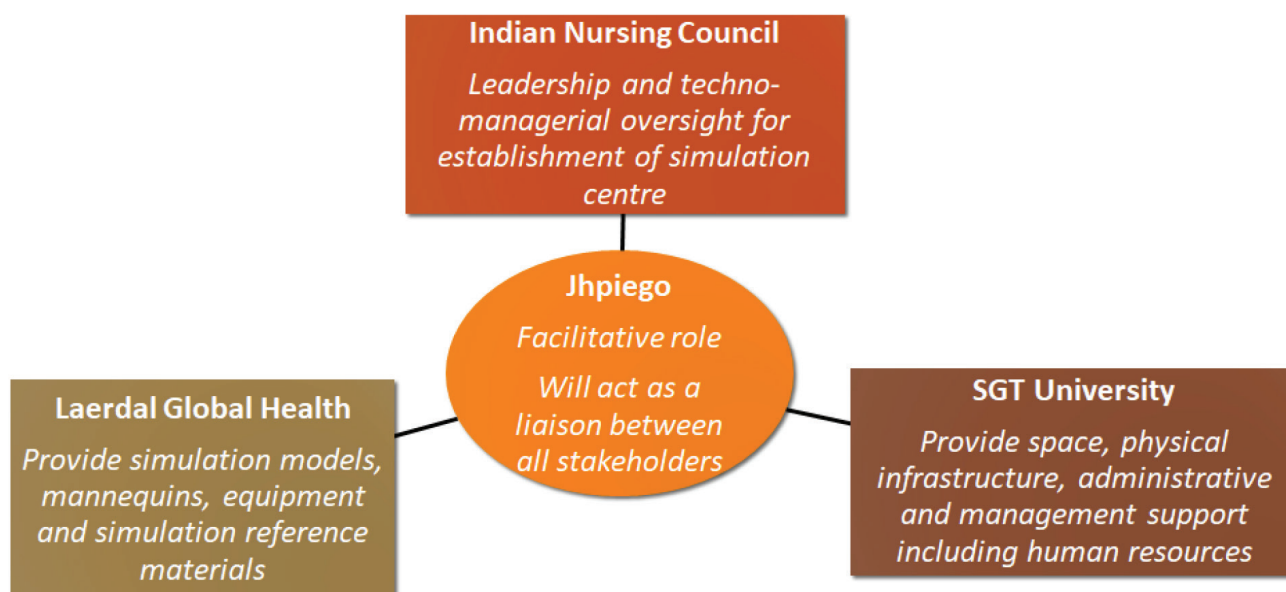
Based on the above, INC has developed 18 months course of NPM. Upon completion of the NPM course, the nurse practitioner in midwifery (NPM) will be responsible for promotion of health of women throughout their life cycle, with special focus on women during their childbearing years and their newborns. She will be responsible for providing respectful maternity care during preconception, pregnancy, childbirth, and post-natal period including the care of newborn. She will be responsible and accountable for her practice. The NPM will practice independently and collaboratively with the doctors in the hospital and within the existing peripheral health system consisting of skilled birth attendants, auxiliary nurse midwives, nurses, doctors and specialists. She can be posted in a facility where no obstetricians are available and provide midwifery care based on predetermined midwifery care protocols alongside treatment protocols and drugs permitted for use by NPMs to mothers and children under 5 years. Competent specialized Nurse Practitioner Midwife will manage Midwifery Led Care Units which is being established by GoI which will reduce mortality rates of mother and children in the country.

16. National Reference Simulation Centre (NRSC)

Introduction

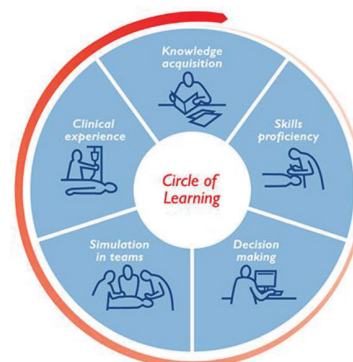
NRSC is a state-of-the-art facility established to integrate and implement simulation-based education in nursing sector in SGTU, Gurugram with the collaborative efforts of INC, Jhpiego and Laerdal. This centre is intended to train nursing students and working professionals with increasing levels of complexities of individual skills, decision making and managing cases with simulation scenarios.

National Council for State Board of Nursing (NCSBN) 2015 has conducted the research wherein it has come out that high quality simulation can substitute up to 50% of traditional clinical hours across the pre-licensure nursing curriculum.



Circle of Learning

- It's a systematic method to acquire and maintain competence
- Bridge between knowledge and clinical practice
- It has five components
 - Knowledge acquisition
 - Skill proficiency
 - Decision making
 - Simulation in teams
 - Clinical experience



Simulation training

- Simulation is imitation or representation of one act or system by another in actual or probable real life condition
- A step between classroom instruction and actual clinical instruction
- Enhances and encourages learning and critical thinking

Skill training vs Simulation based training

Skill training

- In skill training various task trainers are used mainly for individual based learning
- Focuses on particular skills

Simulation based training

- It is a team based learning
- Focuses on comprehensive learning (Ex. about engagement of a disease condition)
- Soft skills like communication, leadership, critical thinking and decision making can be learned

Training

A 6-days training of trainer program is developed in collaboration with experts in the field to help educators utilize circle of learning framework and clinical competency tool includes checklist, OSCE, case study and simulation based education methodology in best possible way to maximize impact in nursing education. This training is developed by meticulous planning of Laerdal Global Health and SGT University. The aim is to prepare master trainers in simulation based education who will disseminate the learning among their colleagues at their respective colleges or institutions.

Pre- & Post-Test Analysis

Pre-test was conducted to assess the level of proficiency of the participants in simulation based education before the ToT and was compared with the post-test on the 6th day of the training.

Summary

212 nursing faculty across the country were trained on simulation based nursing education. The faculty strength of each training varies from 25 to 30.

Skill Standardization and Simulation Training in Midwifery

The skill standardization and simulation training for the midwifery faculty from across the country is being held at the National Reference Simulation Centre, SGT University, Gurugram. This is a 5 day hands on training on facilitation skills, simulation based education and selected midwifery skills. Faculty who has successfully completed the virtual capacity building program can enroll themselves in the training.

Total of 103 faculty have been trained in 5 batches. 53 faculty were from the Government sector and 50 were from the private sector.

17. National Consortium for Ph.D. in Nursing

National Consortium for Ph.D. in Nursing has been constituted by **Indian Nursing Council** to promote research activities, in various fields of Nursing in collaboration with **Rajiv Gandhi University of Health Sciences**.

Centres of National Consortium:

- i) Indian Nursing Council, New Delhi
- ii) St. John College of Nursing, Bangalore, Nodal center
- iii) CMC College of Nursing, Vellore
- iv) CMC College of Nursing, Ludhiana
- v) Govt. College of Nursing, Hyderabad
- vi) Govt. College of Nursing, Thiruvananthapuram
- vii) Govt. College of Nursing, S.S.K.M., Kolkata
- viii) I.N.E., Mumbai

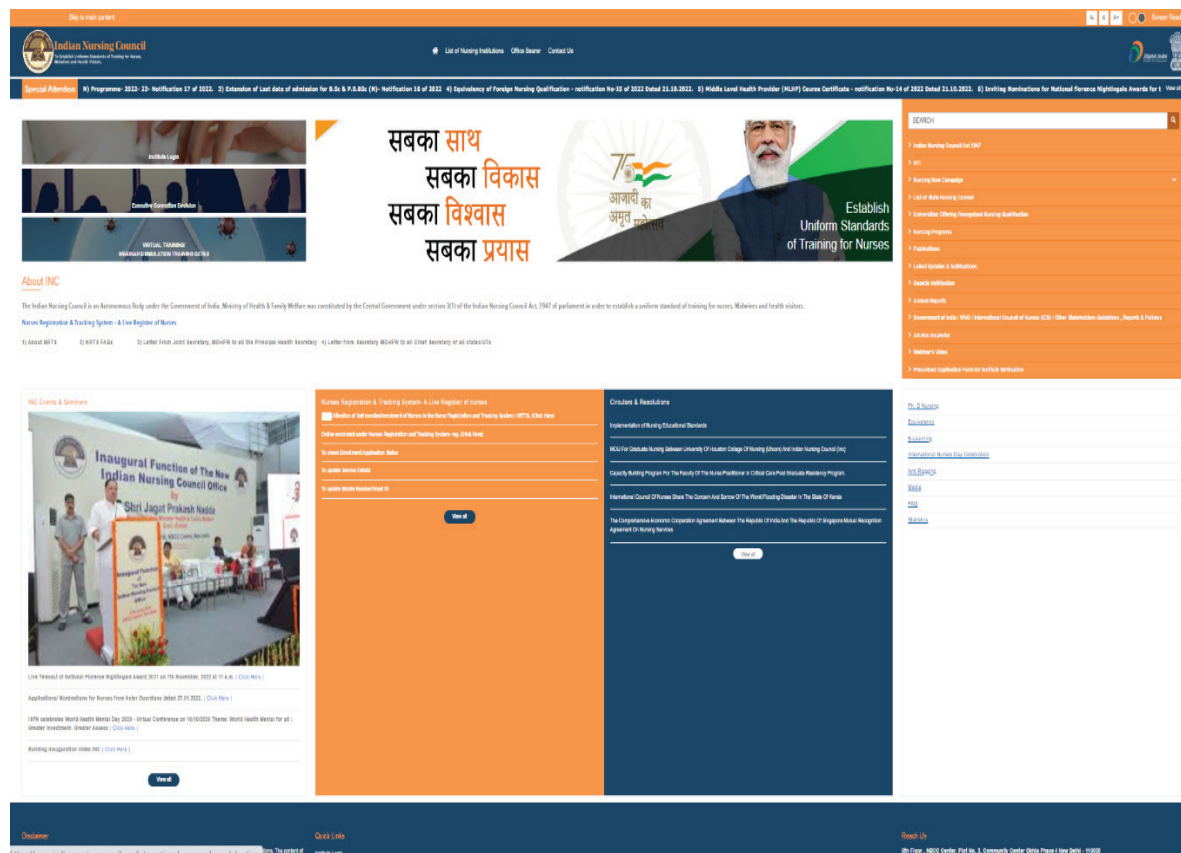
Total Number of Students awarded doctorate degree = 153

Total Number of students enrolled up to 31st March 2022 = 365



18. Digital Monitoring of Nursing Education by INC

- i) The applications received are of four types
 - New institutions
 - Renewal of existing institutions
 - Enhancement of seats in the existing institutions
 - Re-inspection
- ii) As part of regulation and standards of Nursing Education, INC examines the suitability of all the Nursing Colleges/Institutes (both Government & Private) for all the nursing courses in the country.
- iii) The complete process of issuing of suitability letters to the Nursing Institutions is automated through 100% digitalization.
- iv) As part of this, institutions apply/upload all the data online including online payment. After receiving the application online from the institutions INC examines all the applications as per set guidelines and as per its office workflow and the letters can be downloaded by the institutions from the above URL's.
- v) INC Website www.indiannursingcouncil.org is dynamic.
- vi) INC website has been re-designed in the year 2021.





- vii) NRTS live data available on the website: <https://nrts.indiannursingcouncil.gov.in>
- viii) Various Gazette notifications & Circulars related to Nursing Education are placed on website from time to time.
- ix) E-office has been developed in house and has been successfully functioning and all the letters are dispatched through E-mail only.

19. Launching ICN Brand Leadership for Change (LFC) Program in India

Leadership for Change (LFC) – International Council for Nurses (ICN) is running the said training program in 60 countries. Now, Indian Nursing Council has started the said program in India. 42 Nursing & Midwifery Leaders have been given the training in two Cohort and they will be the Master Trainers to train Future Nursing Leaders.

Doctor of Nursing Practice (DNP) – Indian Nursing Council has signed an MoU with the University of Houston. In order to promote more evidence-based nursing practice, DNP program is being started on pilot basis, and the candidates who have completed Nurse Practitioner in Critical Care are eligible for this DNP Program.

20. Learning management system – E-learning course for faculty, clinical nurses & midwives students is hosted on INC website.

- i) COVID 19 MODULE – This course broadly covers the infection prevention and control in the context of COVID-19 and includes facts and debunks myths about COVID-19. It also includes preparedness, readiness and response for COVID-19: early detection, response and referral.
 - Duration – 10 hours.
 - CNE hours – 10 hours awarded for registered nurses and midwives on successful completion of the post module exam with a minimum score of 80%.
 - For undergraduate students, certificate of participation is provided on successful completion with 80% score in the post module exam.
- ii) Midwifery Module 1 – Educational Technology, Midwifery Education & Practice concepts including maternal health scenario in India.
 - Duration – 5 hours.
 - CNE hours – 5 hours awarded for registered nurses and midwives on successful completion of the post module exam with a minimum score of 80%.
 - For undergraduate students, certificate of participation is provided on successful completion with 80% score in the post module exam.
- iii) Midwifery Module 2 – Evidence-based Midwifery Care – antenatal, intrapartum, postpartum and new-born care.
 - Duration – 5 hours.
 - CNE hours – 5 hours awarded for registered nurses and midwives on successful



- completion of the post module exam with a minimum score of 80%.
- For undergraduate students, certificate of participation is provided on successful completion with 80% score in the post module exam.
- iv) Midwifery Module 3 – Reproductive Health – family welfare and safe abortion services including adolescent and young people’s sexual & reproductive health and gender-based violence.
- Duration – 5 hours.
 - CNE hours – 5 hours awarded for registered nurses and midwives on successful completion of the post module exam with a minimum score of 80%.
 - For undergraduate students, certificate of participation is provided on successful completion with 80% score in the post module exam.
- v) E-learning for maternal and newborn health care by Maternity Foundation on the Aastrika platform.
- Duration – 7 hours.
 - CNE hours – 7.5 hours awarded for all who successfully complete the module with 70% score in the post test.
- vi) Integrating sexual and reproductive health by UNFPA on the Aastrika platform.
- Course – It covers 5 modules on introduction to integrated SRH services, family planning, safe abortion, reproductive rights and maternal health. They provide a brief orientation on the SRH issues from the public health perspective.
 - Duration – 7.5 hours
 - CNE hours – 7.5 hours awarded for all who successfully complete the module.

21. Live Register of Nurses

- To achieve a Live Register of Nurses, Indian Nursing Council has initiated the Nurses Registration and Tracking System (NRTS). NRTS is a fully computerized interactive software system launched in 2016-17. The enrolment of nurses who are already registered with State Nursing Councils in NRTS based on Aadhar Authentication steadily progressed during the year and also the new nurses who are passing out from Colleges/Institutions/ Schools will be enrolled into the NRTS as a part of Primary Registration of the State Nursing Councils (SNC). In this regard all the SNCs have been brought on to the NRTS platform.
- After verification of the Nurses data and approval of the same by concerned Registrar of the State Nursing Councils each nurse will be issued Nurse Unique Identification Number (NUID) card and Nurse Passbook indicating nurse profile. Towards this a tender has been floated and finalized the service provider for completing this process. The first batch of 95,998 NUID cards and Nurse Passbooks have been delivered at respective State Nursing Councils for further distribution to respective nurses. It is planned to print another batch of around 1,57,403 NUID cards and Nurse Passbooks during 2021-2022.

- iii. Primary Registration and Reciprocal Registration have been started in Bihar, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Odisha, Sikkim, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand & West Bengal State Nursing Councils and the enrolment of Registered Nurses has reached 10,34,200 till 31st March, 2022.
- iv. Training Programs were conducted through webinars by INC to orient the State Nursing Council officials about primary registration under NRTS. The webinars were attended by Registrars of State Nursing Councils, Principals, Deans & Faculty of Nursing institutions.
- v. Renewal is linked with 150 CNE hours.
- vi. NRTS live data available on the website.
- vii. Nurses can login & register for NRTS on INC website.
- viii. Nurses can authenticate themselves based on OTP received on Aadhar Linked Mobile No.
- ix. Nurses can update changes in NRTS (mobile change, service record change etc.).
- x. State-wise live data of nurses can be seen easily on the website.
- xi. On clicking on each state, district wise data of nurses can also be viewed.
- xii. There are many features like age-wise reports, Government, Private.

22. INC in collaboration with UNFPA organised 15 Virtual Capacity Building programs for Midwifery education.

INC in collaboration with UNFPA organised 15 Virtual Capacity Building programs for Midwifery education. 2085 Nurses trained (Govt. – 524 & Pvt. – 1561)		
S.No.	Day	Topic
1	Day 1	1.1 Educational methodology 1.2 Latest educational technology
2	Day 2	2.1 Midwifery education and practice 2.2 Evidence based antenatal care
3	Day 3	3.1 Management of antenatal complications 3.4 Evidence based intrapartum care and management of complications
4	Day 4	4.1 Evidence based postnatal care and management of postnatal complications 4.2 Evidence based new born care and management of new born complications
5	Day 5	5.1 Family planning and contraception 5.2 Safe abortion services
6	Day 6	6.1 Adolescent and young people's sexual and reproductive health 6.2 Gender based violence – nurse's role



23. Webinars & Trainings conducted during 2021-2022

Total 08 Webinars have been conducted so far.

S.No.	Webinars	Date
1.	Webinar on Celebration of Midwifery Day Number of participants – 4245	05.05.2021
2.	Webinar on Celebration of International Nurses Day, 2021 Number of participants – 2987	12.05.2021
3.	Webinar on Nurse Registration Tracking System Number of participants – 10,721	02.06.2021
4.	Orientation Workshop on Revised B.Sc. (Nursing) Syllabus 2021-22 (Session-I) Number of participants – 7185	01.09.2021
5.	Orientation Workshop on Revised B.Sc. (Nursing) Syllabus 2021-22 (Session-II) Number of participants – 9375	02.09.2021
6.	Orientation Workshop on Revised B.Sc. (Nursing) Syllabus 2021-22 (Session-III) Number of participants – 6985	03.09.2021
7.	Orientation Workshop on Revised B.Sc. (Nursing) Syllabus 2021-22 (Session-IV) Number of participants – 4775	04.09.2021
8.	NM4C Social Media Training Number of participants – 930	09.10.2021

24. Recognition of State, Private/Deemed University

The following Universities are recognized by the Indian Nursing Council under Section 10 of the Indian Nursing Council Act, 1947 to conduct the examination and for inclusion in the Indian Nursing Council Act, 1947 Schedule Part II as an examination authority for the Collegiate nursing programs.

S.No.	State	Name of the University	Address
1	Bihar	Mata Gujri University	Purabpali Road, Kishanganj, Bihar-855107
2	Chhattisgarh	Shri Rawatpura Sarkar University	Near Shadani Darbar, Village Dhaneli, Post Office Mana, New Dhamtri Road, Raipur, Chhattisgarh-492015
3	Gujarat	Bhagwan Mahavir University	149, VIP Road, Bhathana Road, Vesu, Surat, Gujarat-395007
4	Haryana	P D M University	Sector-3A, Sarai, Aurangabad, Bahadurgarh, Jhajjar, Haryana-124507



S.No.	State	Name of the University	Address
5	Jharkhand	Binod Bihari Mahto Koyalanchal University	Government Polytechnic Road, Dhanbad, Jharkhand-828130
6	Jharkhand	Ramchandra Chandravansi University	At+PS Nawadih Kala, PO Bishrampur, District Palamu, Jharkhand-822132
7	Jharkhand	Sai Nath University	Jirawar Chandway Kuchchu Road, Ormanjhi, Ranchi, Jharkhand-835219
8	Karnataka	Srinivas University	Srinivas Campus, Srinivas Nagar, Mukka, Surathkal, Mangaluru, Karnataka-574146
9	Karnataka	Adichunchanagiri University	B G Nagara, NH-75, Nagamangala Taluq, Mandya District, Karnataka-571448
10	Madhya Pradesh	IES University	IES Campus, Ratibad Main Road, Bhopal, Madhya Pradesh-462004
11	Madhya Pradesh	SAM Global University	Village Agariya Chopra, Bhopal Road, Sanchi Raisen, Madhya Pradesh-464551
12	Madhya Pradesh	Sardar Patel University	Sardar Patel Knowledge City, Waraseoni Road, Dongariya, Balaghat, Madhya Pradesh-481331
13	Madhya Pradesh	Renaissance University	Gram Reoti, Behind Aurobindo Hospital, Sanwer-Ujjain Road, Indore, Madhya Pradesh-453111
14	Madhya Pradesh	Sri Aurobindo University	Indore-Ujjain State Highway, Near MR-10 Crossing, Sanwar Road, Indore, Madhya Pradesh-453555
15	Madhya Pradesh	Bhabha University	NH-12, Hoshangabad Road, Jatkhedhi, Bhopal, Madhya Pradesh-462026
16	Punjab	Chandigarh University	NH-95, Chandigarh-Ludhiana Highway, Gharuan, Mohali, Punjab-140413
17	Rajasthan	Apex University	Science Tech City, NH-58, Link Road, 248, Achrol, Jaipur, Rajasthan-303002
18	Rajasthan	Nirwan University	NH-21, Village Jhar, Agra Road Highway, Near Bassi, Jaipur, Rajasthan-303305
19	Tamil Nadu	Dhanalakshmi Srinivasan University	NH-45, Trichy-Chennai Trunk Road, Samayapuram, Tiruchirapalli, Tamil Nadu-621112
20	Uttar Pradesh	Noida International University	Plot No. 1, Sector 17A, Yamuna Expressway, Gautam Budh Nagar, Greater Noida, Uttar Pradesh-201308



S.No.	State	Name of the University	Address
21	Uttar Pradesh	Atal Bihari Vajpayee Medical University	9th Floor, Academic Block, Dr Ram Manohar Lohiya Institute of Medical Sciences, Lucknow, Uttar Pradesh-226010
22	Uttar Pradesh	J S University	5 km Milestone, Mainpuri Road, Shikohabad, Firozabad, Uttar Pradesh-283135
23	Uttar Pradesh	Mahayogi Gorakhnath University	Arogya Dham, Balapar Road, Sonabarsa, Gorakhpur, Uttar Pradesh-273007
The following Universities are recognized by Indian Nursing Council under Section 10 of Indian Nursing Council Act, 1947 for Ph.D. Nursing Program.			
24	Maharashtra	Symbiosis University	Pune
25	Uttar Pradesh	Teerthankar University	Moradabad
26	Karnataka	NITTE University	Mangaluru
27	Bihar	Gopal Narayan University	Rohtas

Activities Planned for the Year 2022-2023

1. Inspections of Institutions under Section 13 & 14, Re-Inspection, and Enhancement of seats and periodical inspection to ensure maintenance of minimum standards prescribed by Indian Nursing Council.
2. Organizing Meetings of Executive Committee/Nursing Education Committee/General Body of Indian Nursing Council for the purpose of the Act.
3. Annual Meeting of Registrars of State Nursing Councils.
4. Orientation & Implementation of Primary Registration in NRTS to all nursing education institutions.
5. Implementation of Primary Registration under NRTS (Live Register)
6. Implementation of revised B.Sc. (Nursing) curriculum program for faculty of nursing colleges.
7. Implementation of Nurse Practitioner in Midwifery syllabus of 18 months.
8. Capacity Building Implementation of Midwifery Education program.
9. Preparation of E-Learning Modules.
10. Nurse Practitioner in Emergency & Trauma and Reframing of P.B. Diploma in Residency program to be gazetted.
11. Implementation of DNP program in select institutions.
12. Additional Modules to the Maternal health care in E-learning.
13. Monitoring of National Midwifery Training Institutions.

Our Publications

S.No.	NAME OF THE PRICED SYLLABI
1	ANM Syllabus
2	GNM Syllabus 3 years (Revised 2015)
3	B.Sc. (Nursing) Syllabus (2020)
4	P.B.B.Sc. (Nursing) Syllabus
5	Post Basic Diploma in Burns and Reconstructive Surgery Specialty Nursing
6	Post Basic Diploma in Cardio-Thoracic Nursing
7	Post Basic Diploma in Critical Care Nursing
8	Post Basic Diploma in Emergency and Disaster Nursing
9	Post Basic Diploma in Forensic Nursing
10	Post Basic Diploma in Gerontological Nursing
11	Post Basic Diploma in Hematology Nursing
12	Post Basic Diploma in Neonatal Nursing
13	Post Basic Diploma in Neuroscience Nursing
14	Post Basic Diploma in Nurse Practitioner in Midwifery
15	Post Basic Diploma in Oncology Nursing
16	Post Basic Diploma in Operation Room Nursing
17	Post Basic Diploma in Orthopaedics & Rehabilitation Nursing
18	Post Basic Diploma in Psychiatric/Mental Health Nursing
19	Nurses Practitioner in Critical Care PG Residency Program (Syllabus & Regulation)
20	Nurses Practitioner in Critical Care PG Residency Program (Guidebook for NPCC Curriculum)
S.No.	NAME OF OTHER PRICED PUBLICATIONS
1	Clinical Assignment – Guideline
2	Code of Ethics & Professional Conduct
3	Indian Nursing Council Act, 1947
4	Indian Nursing Council Regulations
5	Laboratory Equipments & Articles (including skill lab article)
6	Practical Record Book
7	Teaching Material for Quality Assurance Model Nursing
8	Practice Standards for Psychiatric-Mental Health Nursing
9	Practice Standards for Critical Care (INC_PSCCNP)



